

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक: **अ-540**

दिनांक **07/04/2022**

विज्ञप्ति

जन कल्याण एवं विकास संस्थान को शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्य हेतु विद्याधर नगर क्षेत्र में 10,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन कराने के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 15 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।


अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

	जयपुर विकास प्राधिकरण Jaipur Development Authority नागरिक सेवा केन्द्र Citizen Care Center			पंजीयन क्रमांक Registration No.	
				385633	
प्राप्ति (Receipt)					
Linked CCC Reg. Nos.:					
किसके लिए अनुरोध किया है। :- Requested For Institutional Land Allotment (CCC-14)					
प्राप्ति दिनांक Receipt Date		03/02/2022		नियत दिनांक Due Date 20/06/2022	
आवेदक का ब्योरा (Applicant's Details)					
आवेदक का नाम Applicant Name		SH. JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN			
पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name		SH. YASHPAL SINGH CHIRANA			
पता Address		B- 18 PREM COLONY NEHRU NAGAR JAIPUR, - PIN:			
चाही गई सेवा से सम्बन्धित भूखण्ड का विवरण (Concerned Plot Details)					
विकसकर्ता का प्रकार Developer Type		विकासकर्ता का नाम Developer Name			
योजना का नाम Scheme Name					
योजना की लोकेशन Scheme Location				भूखण्ड का प्रकार Type Of Plot	
भूखण्ड संख्या Plot No.		भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)/(वर्ग मीटर में) Plot Area (Sq.Yds.)/(Sq. Mtr.)			
चालान सं. Challan No				राशि (रुपयों में) Fee In Rs.	
				दिनांक Date	
सलंगन दस्तावेज (Document(s) enclosed)					
अतिरिक्त सलंगन दस्तावेज की सूची (List of additional document(s))		दस्तावेजों की संख्या Total Documents		पृष्ठों की संख्या No.of Pages	
ORG. DD. NO. 227330 RS - 5000 & DOCOUMANT PHOTO COPY					
स्थित कार्यालय AC(LPC)		सम्बन्धित अधिकारी AC (LPC)		प्रभारी अधिकारी AC (LPC)	

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/ संगठन का नाम	जन कल्याण एवं विकास संस्थान, ज.
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	डॉ. अशोक सिंह पुराना
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	B-18, प्रेम कालोनी, देहली नगर पंचायत जय Mob. 94139 66368, dr.yashpal28@gmail
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य	शैक्षणिक एवं सामाजिक-विकास हेतु
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	10,000 वर्ग मीटर (विद्यमान नगर क्षेत्र)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	5000 से 10000 मीटर तक
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	संलग्न है
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।	nil
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
(i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	Enclosed संलग्न है
(ii) बाईलॉज/ रेग्युलेशनस	"
(iii) गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट	"
(iv) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है
(v) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	शैक्षणिक एवं सामाजिक हेतु
(vi) रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न है

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : ...05.01.22/03.02.22

स्थान : ...Jaipur


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (प्रा.) व पद

9

प्रपत्र-2

स्व- घोषणा पत्र



मैं/हम...डॉ. अरापाल सिंह चिराग.....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री...श्री-श्री. 1.1.1.1.....
उम्र.....36.....वर्ष, निवासी.....जयपुर.....जिला.....जयपुर.....
राजस्थान घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ
संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं
गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूठी/ असत्ये पाये जाने पर मैं स्वयं
जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे
द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक : 5-1-21/03-02-22

स्थान : जयपुर

आवेदक के हस्ताक्षर
सचिव
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

5

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक _____ 8 _____ /जयपुर/199

यह प्रमाणित किया जाता है कि जन कल्याण एवं
विकास संस्थान, प्रेम कालोनी, जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 18 माह 4 सन एक हजार नौ सौ 81 हजार दो
को जयपुर में किया गया।




रजिस्ट्रार संस्थाएं

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 374969


सचिव
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र



:: मुद्रक एवं विक्रेता ::

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

जी-1/138, मालवीय इण्ड. ऐरिया, जयपुर। फोन : 751352, 751417

प्राप्ति स्थल :

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.
पोलोविकट्री के पास, जयपुर-1 फोन : 374 969

शपथ पत्र का प्रारंभ

अध्यक्ष प्रस्तावित संस्था के पंजीयन हेतु

जब 02/11/20 एवं 10/11/20

रजिस्ट्री

के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था जब 02/11/20 एवं 10/11/20 रजिस्ट्री के पंजीयन हेतु कुल 32 आवेदक सदस्य है।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें 02/11/20 को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, 02/11/20 को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

मनी

कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें 02/11/20 को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष

मनी

कोषाध्यक्ष

नोट :- यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक /राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

8

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।
---------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	--

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
---------	----------------------	-----------------------	--

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात् :-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, ¹(खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोत्ति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

1. राज. राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तर्स्थापित किया गया।

संघ विधान-पत्र

10

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम 317 3, 2, 2017 संघ विधान
सुधिसि/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 13-18, गुजरा 0220001, जयपुर 302002 है
तथा कार्यक्षेत्र जयपुर है
तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिले क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- (1) शैक्षिक विकास के लिए अनुसंधान कार्य करना।
- (2) प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं का विविध माध्यमों से सर्वक्षण व उनके निदान के लिए आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करवाना।
- (3) शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिए शोध केन्द्रों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, तकनीकी संस्थानों, कम्प्यूटर केन्द्रों व सामाजिक, शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार, जनसहयोग से तथा अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर जनहित में प्रतिष्ठानों की स्थापना करना।
- (4) शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान, परिचर्चाएँ, आदि आयोजित करना, उनके निष्कर्षों को सरकार तक पहुँचाना व निष्कर्षों का प्रकाशन करवाना।
- (5) अध्ययनरत छात्रों के गुण विकास में मदद करने, उनकी मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करने व उनके बौद्धिक धरातल को उन्नत करने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उच्च माध्यमिक व प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में, मंदबुद्धि विद्यालयों में प्रमुख शैक्षणिक विषयों की प्रतियोगी परीक्षाएँ, शारीरिक विकास के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएँ व अन्य प्रतियोगिताएँ व प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित करना व मेधावी व प्रतिभाशाली छात्रों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत व छात्रवृत्तियों व अध्ययन के सुअवसर उपलब्ध करवाना।
- (6) बालक-बालिकाओं, युवाओं, विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यगता निर्धन महिलाओं व प्रौढ़ों के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिए रोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए व आर्थिक उत्थान के लिए सरकार से, जन सहयोग से व अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर जनहित में बहुउद्देशीय शिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, तकनीकी केन्द्रों, छात्रावासों की स्थापना करना।
- (7) मंदबुद्धि बालक-बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, बाल शिविर, विकास केन्द्र एवं अन्य बालपयोगी केन्द्रों आदि को संचालित करवाना।
- (8) समाज के सभी वर्गों के समन्वित विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, चिकित्सालय, खेलकूद तथा मनोरंजन केन्द्र, निराश्रित गृह, वृद्धाश्रम, विकलांग-निर्धन सहायता केन्द्र तथा मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल व छात्रावास व पुर्नवास केन्द्र संचालित करना व उनके उत्थान के लिए सरकार से जनसहयोग से व अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
- (9) विकलांग, मंदबुद्धि व गरीब तथा अनाथ बच्चों, विधवा, तलाकशुदा, परित्यगता महिलाओं तथा वृद्धजनों के विकास के लिए निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों की व छात्रावास स्थापना करना तथा सरकार व जनसहयोग तथा अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर संचालित करना।
- (10) सामाजिक व शैक्षिक विकास हेतु पत्रिका, निर्देशिका, स्मारिका, पुस्तकों आदि का प्रकाशन करना तथा समय समय पर कवि-सम्मेलन, काव्य गोष्ठियाँ, गद्य-पद्य समीक्षा, गद्य-पद्य परिचर्चाएँ आदि आयोजित करना एवं प्रेरणात्मक सामग्री का संग्रह करना, मुद्रण व प्रकाशन को बढ़ावा देना।



12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, गोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के भूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।
19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
22. अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

- 3) पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ग्रामीणों के विकास एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, एवं 1987 संशोधन के विकास के लिए कार्य करना।
-) उपरोक्त कच्ची बस्ती व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे सब कार्य करना जिनकी आवश्यकता महसूस होती हैं एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जनसहभागिता तथा देश-विदेश की अन्य समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से धन व सहायता जुटाना एवं जनहितार्थ खर्च करना।



1/1/88


1/1/88

1/1/88

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

14-7

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	श्री लाली राम S/O श्री मोहन राम	निजी कार्य		उपपदाध्यक्ष
2	श्री मोती जी श्री सुरजी राम	"		उपपदाध्यक्ष श्री श्री
3	श्री पृथ्वी सिंह जी S/O श्री शंकर सिंह	"		"
4	श्री गुरदास रॉजी जी श्री गुरे रॉजी	"		गुरुदास महासचिव
5	श्री महापाल सिंह S/O श्री केशी सिंह	नौकरी		सचिव
6	श्री जगहर लाल श्री आराम राम	"		कार्यालय सचिव
7	श्री राज सिंह S/O श्री सुरज सिंह	"		सदस्य
8	श्री सुरजी राम S/O श्री मोती लाल	"		कोषाध्यक्ष
9	श्री प्रहलाद शर्मा श्री चिंजी लाल	"		सदस्य
10	श्री अच्युत रॉजी श्री राम रॉजी	"		"
11	श्री कल्याण जी S/O श्री गुरदास लाल	"		"
12	श्री कल्याण जी S/O श्री शिवराम शर्मा	निजी व्यवसाय	D-105, प्रेम कालोनी	"
13	श्री कल्याण जी S/O श्री शिवराम शर्मा	"		"
14	श्री गणेश सिंह जी शर्मा श्री कल्याण लाल	"	D-8, गेट नं. 202 जयपुर	"
15	श्री इन्द्रसिंह रॉजी जी S/O श्री सुरजसिंह रॉजी	"	C-6 प्रेम नगर	"



अध्यक्ष श्री मोहन राम

मंत्री

(5)

कोषाध्यक्ष श्री गुरदास



विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम संगति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय है
तथा कार्यक्षेत्र है
तथा इसका कार्यक्षेत्र क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- (1) शैक्षिक विकास के लिए अनुसंधान कार्य करना।
- (2) प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं का विविध माध्यमों से सर्वेक्षण व उनके निदान के लिए आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करवाना।
- (3) शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिए शोध केन्द्रों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, तकनीकी संस्थानों, कम्प्यूटर केन्द्रों व सामाजिक, शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार, जनसहयोग से तथा अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर जनहित में प्रतिष्ठानों की स्थापना करना।
- (4) शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान, परिचर्चाएँ, आदि आयोजित करना, उनके निष्कर्षों को सरकार तक पहुँचाना व निष्कर्षों का प्रकाशन करवाना।
- (5) अध्ययनरत छात्रों के गुण विकास में मदद करने, उनकी मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए बौद्धिक धरातल को उन्नत करने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उच्च माध्यमिक व प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में, मंदबुद्धि विद्यालयों में प्रमुख शैक्षणिक विषयों की प्रतियोगी परीक्षाएँ, शारीरिक विकास के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएँ व अन्य प्रतियोगिताएँ व प्रतिस्पर्द्धाएँ आयोजित करना व मेधावी व प्रतिभाशाली छात्रों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत करना, छात्रवृत्तियाँ व अध्ययन के सुअवसर उपलब्ध करवाना।
- (6) बालक-बालिकाओं, युवाओं, विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यगता व निर्धन महिलाओं व प्रौढ़ों के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिए रोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए व आर्थिक उत्थान के लिए सरकार से, जन सहयोग से व अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर जनहित में बहुउद्देशीय शिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, तकनीकी केन्द्रों, छात्रावासों की स्थापना करना।
- (7) निर्धन व मंदबुद्धि बालक-बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, बाल शिविर, छात्रावास केन्द्र एवं अन्य बालपयोगी केन्द्रों आदि को संचालित करवाना।
- (8) समाज के सभी वर्गों के समन्वित विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, चिकित्सालय, खेलकूद तथा मनोरंजन केन्द्र, निराश्रित गृह, वृद्धाश्रम, विकलांग-निर्धन सहायता केन्द्र तथा मंदबुद्धि बच्चों के स्कूल व छात्रावास व पुर्नवास केन्द्र संचालित करना व उनके उत्थान के लिए सरकार से जनसहयोग से व अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
- (9) विकलांग, मंदबुद्धि व गरीब तथा अनाथ बच्चों, विधवा, तलाकशुदा, परित्यगता महिलाओं तथा वृद्धजनों के विकास के लिए निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों की व छात्रावास स्थापना करना तथा सरकार व जनसहयोग तथा अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर संचालित करना।
- (10) संस्थानिक व शैक्षिक व साहित्यिक विकास हेतु पत्रिका, निर्देशिका, स्मारिका, पुस्तकों आदि का प्रकाशन करना तथा समय समय पर कवि-सम्मेलन, काव्य गोष्ठियाँ, गद्य-पद्य समीक्षा, साहित्य परिचर्चाएँ आदि आयोजित करना एवं प्रेरणात्मक सागरों का संग्रह करना, मुद्रण व बेनदेन को बढ़ाना देना।

क्र.सं. नाम वगैरा का नाम व्यतसाय पूर्ण पता हस्ताक्षर

- 19. श्री देवदत्त जी
SICHA 21/92 (171M)
- 20. श्री इन्द्राजी लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 21. श्री. लाल लाल जी लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 22. श्री (सिम लाल)
SICHA 21/92 (171M)
- 23. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 24. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 25. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 26. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 27. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 28. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 29. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 30. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 31. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)
- 32. श्री. लाल लाल लाल
SICHA 21/92 (171M)



(1) संख्या का परिवर्तन क्रमांक	...
(2) संख्या का पता	...
(3) दिनांक	...
(4)
(5)
(6) हस्ताक्षर	...

हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व जिनके हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षरकर्ता यह सूचना देता है कि...

प्रमाणित (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) RPA 30/12/2002

हस्ताक्षर सुनने वाले के...

हस्ताक्षर पढ़ने वाले के...

नकल हेतु...

नकल देना...


ATTESTED

(7) NOTARY PUBLIC
JAIPUR 28 DEC 2001


कोषाध्यक्ष

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

- (11) हिन्दी को राजभाषा के रूप में, संस्कृत को प्राच्य भाषा के रूप में व अंग्रेजी को अन्तराष्ट्रीय भाषा के रूप में, राजस्थानी को प्रादेशिक भाषा के रूप में, उर्दू को सहायक भाषा के रूप में सम्मान दिए जाने हेतु विभिन्न प्रकल्प हाथ में लेना व क्रियान्वित करवाना।
- (12) पिछड़ी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के ^{शैक्षणिक (203-14)} आर्थिक उत्थान, शिक्षण व विकास के लिए सरकार, जनसहयोग व अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर सुविधाएं प्रदान करना व साधन जुटाना ।
- (13) सामाजिक कार्यो, शैक्षणिक कार्यो व राज्य एवं राष्ट्र के विकास में विशेष योगदान देने वाले व उपलब्धि हासिल करने वाले बालक-बालिकाओं, पुरुषों, महिलाओं को सम्मानित करवाना।
- (14) औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना ।
- (15) बाढ़, भूकम्प, अकाल राहत विपदाओं के समय राहत कार्यो के संचालन करने के लिए सरकार, जन सहयोग से व अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर पीड़ितों को मदद पहुँचा व राहत प्रदान करना एवं करवाने को बढ़ावा देना ।
- (16) स्वैच्छिक संगठनों के कार्य को आगे बढ़ाने और उनमें गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से ऐसे संगठनों की सहायता करना तथा सरकार व जनसहयोग से तथा समान उद्देश्य वाली राजस्थान से बाहर की संस्थाओं से योजनाएँ लेना। धन व साधन जुटाना, सहयोग लेना व देना और क्रियान्वित करवाना ।
- (17) समाज में जातीयता, क्षेत्रियता व भेदभाव की भावना को दूर करना, उनमें पारस्परिक सहयोग, सद्भाव, सहिष्णुता पैदा करवाना ।
- (18) समाज में ^{अविकसित} प्रतिभा का विकास एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सहायता देना एवं ^{प्रोत्साहित} करके उनके उत्थान के लिए निबन्ध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता व प्रदर्शनीयों, खेलकूद शिविर, रक्तदान शिविर, पर्वतारोहण, वृक्षारोपण, श्रमदान शिविर, नेत्रदान शिविर, स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाना ।
- (19) शहर की कचची बस्तियों में व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार, परिवार नियोजन एवं पेयजल के निवारण, सामाजिक बुराईयों व कुरीतियों को समाप्त करने, खतरनाक बिमारियों से बचने के कार्यक्रम सरकारी मदद से, जनसहभागिता से व अन्य संस्थाओं से धन व साधन जुटाकर आयोजित करना व संचालन करना।
- (20) शहरों के पिछड़े क्षेत्रों, कचची बस्तियों का विकास करवाना, कचची बस्तियों में निर्धन व विकलांग बच्चों के लिए शिक्षण केन्द्रों, रोजगार केन्द्रों की स्थापना करना, कौमी एकता के कार्यक्रम करना ।
- (21) जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार गोष्ठियों शिविरों, सम्मेलनों एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, उनकी समस्याओं, विपदाओं एवं विसंगतियों का समाधान एवं निराकरण में सहयोग करवाना ।
- (22) नशे एवं अश्लील पोस्टरों एवं अन्य सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध जनहित में अभियान चलाना, तथा जनहित में पोस्टर, स्टीकर जारी करना ।



- (23) पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ग्रामीणों के विकास एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं स्वयंसेवी उपभोक्ताओं के विकास के लिए कार्य करना।
- (24) उपरोक्त कच्ची बस्ती व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे सब कार्य करना जिनकी आवश्यकता महसूस होती है एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा देश-विदेश की अन्य समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से धन व साधन जुटाना एवं जनहितार्थ खर्च करना।



4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

✓ 1-संरक्षक	✓ 2-विशिष्ट
✓ 3-सम्माननीय	✓ 4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

13

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक	राशि.....	वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ट	राशि.....	वार्षिक/आजन्म
3-सम्माननीय	राशि.....	वार्षिक
4-साधारण	राशि..... 100/-	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु..... की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।
- 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन

: संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ✓ 1. अध्यक्ष-एक | ✓ 2. उपाध्यक्ष-तीन |
| ✓ 3. मंत्री-एक | ✓ 4. कोषाध्यक्ष-एक |
| ✓ 5. सदस्य-सात | ✓ 6. संपूर्ण कर्तव्य-1 |
| | ✓ 7. कार्यिणी कर्तव्य-1 |

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 8 (आठ) पदाधिकारी व 7 (सात) सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष

[Handwritten Signature]

मंत्री

(10)

[Handwritten Signature]
कोषाध्यक्ष

14 कार्यकारिणी की बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकती है जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

(22)

15

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

- 1- बैठकों को আহूत करना।
- 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें আহूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मन्त्री

- 1- बैठकें আহूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
- 3- आम व्यवय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैधानिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके घेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।


5- संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।



अध्यक्ष
11.10.2016

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

5- कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

- 1- चन्दा
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी

विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की

- (1) संख्या का पंजीयन क्रमांक 8/1/2002
- (2) संस्था का नाम राजस्थान सहकारी बैंक
- (3) निम्न दरद्वारा शुल्क 8/1/2002
- (4) दस्तावेज 6/1/2002
- (5) दिनांक पंजीयन 6/1/2002
- (6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

राशि एक मुश्किल स्वीकृत कर सकेंगे।

- 1- अध्यक्ष.....1,000.00.....रु.
- 2- मन्त्री.....5,000.00.....रु.
- 3- कोषाध्यक्ष.....1,000.00.....रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवा जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेख जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्था को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा, उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

निर्वाचन प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

शपथ पत्र

संस्था के अध्यक्ष/सदस्यों एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रमाणित करण

के तहत

1. हमारी संस्था का पंजीयन दिनांक है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य हैं।
3. संस्था की आमसभा दिनांक को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीयन के लिए आवश्यक कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक की सूचना का नोटिस दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

17

[Handwritten Signature]
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

सत्यापन

हम उपर्युक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

[Handwritten Signature]
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
मंत्री

2 Copies

जन कल्याण एवं विकास समिति

पंजीयन क्रमांक-8/जयपुर/2001-02

तुलनात्मक विवरण


क्र. सं.	उपनियम संख्या जिसमें संशोधन किया गया है	वर्तमान प्रावधान	संशोधन के पश्चात प्रावधान
1.	3	संस्था के उद्देश्य: इस संस्था के निम्नलिखित शैक्षिक विकास के लिये अनुसंधान कार्य करना व करवाना ।	संस्था के उद्देश्य: इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:- शैक्षिक विकास के लिये अनुसंधान कार्य करना व करवाना ।
2.		प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं का विविध माध्यमों से सर्वेक्षण व उनके निदान के लिये आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करना व करवाना ।	प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं का विविध माध्यमों से सर्वेक्षण व उनके निदान के लिये आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करना व करवाना ।
3.		शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिये शोध केन्द्र, उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, तकनीकी संस्थानों, कमप्यूटर केन्द्रों व सामाजिक, शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना करना व करवाना ।	शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिये शोध केन्द्रों, उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों, तकनीकी संस्थानों, कमप्यूटर केन्द्रों व सामाजिक, शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना करना व करवाना ।
4.		शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियों, व्याख्यान, परिचर्चाएँ आदि आयोजित करना, उनके निष्कर्षों को सरकार तक पहुँचाना व निष्कर्षों का प्रकाशन करना ।	शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियों, व्याख्यान, परिचर्चाएँ आदि आयोजित करना, उनके निष्कर्षों को सरकार तक पहुँचाना व निष्कर्षों का प्रकाशन करना ।

Ashok Lamba

Bsireh

25

जन कल्याण एवं विकास समिति
जयपुर (राज.)




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 15/02/2018

<p>अध्ययनरत छात्रों के गुण विकास में मदद करने उनके मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करने व उनके बौद्धिक धरातल को उन्नत करने के लिये विषयविविधता, महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक व प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में प्रमुख शैक्षणिक विषयों की प्रतियोगी परीक्षाएँ, शारीरिक विकास के लिये खेलकूद प्रतियोगिताएँ व अन्य प्रतियोगिताएँ व प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित करना व सहायी आयोजित करना व प्रतिस्पर्धी छात्रों का वयन कर व उन्हें प्रोत्साहित करना, छात्रवृत्तियाँ व अध्ययन के सुअवसर उपलब्ध करवाना।</p>	<p>अध्ययनरत छात्रों के गुण विकास में मदद करने उनके मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करने व उनके बौद्धिक धरातल को उन्नत करने के लिये विषयविविधता, महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक व प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में प्रमुख शैक्षणिक विषयों की प्रतियोगी परीक्षाएँ, शारीरिक विकास के लिये खेलकूद प्रतियोगिताएँ व अन्य प्रतियोगिताएँ व प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित करना व सहायी आयोजित करना व प्रतिस्पर्धी छात्रों का वयन कर व उन्हें प्रोत्साहित करना, छात्रवृत्तियाँ व अध्ययन के सुअवसर उपलब्ध करवाना।</p>	<p>5.</p>
<p>बालक-बालिकाओं व युवाओं, महिलाओं व प्रौढ़ों के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिये योजनाय प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये व आर्थिक उत्थान के लिये बहुउद्देश्यीय शिक्षण केंद्रों, तकनीकी केंद्रों की स्थापना करना।</p>	<p>बालक-बालिकाओं व युवाओं, महिलाओं व प्रौढ़ों के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिये योजनाय प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिये व आर्थिक उत्थान के लिये बहुउद्देश्यीय शिक्षण केंद्रों, तकनीकी केंद्रों की स्थापना करना।</p>	<p>6.</p>
<p>बालक-बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु बालबाड़ी, ऑननबाड़ी, बालशिविर केंद्र एवं अन्य बालप्रयोगी केंद्रों आदि को संचालित करवाना।</p>	<p>बालक-बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु बालबाड़ी, ऑननबाड़ी, बालशिविर केंद्र एवं अन्य बालप्रयोगी केंद्रों आदि को संचालित करवाना।</p>	<p>7.</p>
<p>समाज के सभी वर्गों के समन्वित विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, चिकित्सालय, खेलकूद तथा मनोरंजन केंद्र, निराश्रित गृह, वृद्धा आश्रम, विकलांग निर्धन सहायता केंद्र संचालित करना व उनके उत्थान के लिये विषय-विषय सुविधायें उपलब्ध करवाना।</p>	<p>समाज के सभी वर्गों के समन्वित विकास हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, चिकित्सालय, खेलकूद तथा मनोरंजन केंद्र, निराश्रित गृह, वृद्धा आश्रम, विकलांग निर्धन सहायता केंद्र संचालित करना व उनके उत्थान के लिये विषय-विषय सुविधायें उपलब्ध करवाना।</p>	<p>8.</p>
<p>अन्य वर्गों के विकास के लिये निशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करवाना।</p>	<p>अन्य वर्गों के विकास के लिये निशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करवाना।</p>	<p>9.</p>



[Handwritten signature]

सचिव
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)


27

Sharma

Sharma


Sharma

10.	शैक्षिक व साहित्यिक विकास हेतु पत्रिका, निर्देशिका, स्मारिका पुस्तकें तथा समय पर कवी सम्मेलन काय गीष्टियाँ व गद्य-पद्य गीष्टियाँ व गद्य-पद्य साहित्यिक परिवर्धन आदि आयोजित करना एवं प्रवृत्तिका सामग्री का संग्रह करना, मुद्रण व लेन देन का करना, मुद्रण व लेन देन का बढावा देना ।	शैक्षिक व साहित्यिक विकास हेतु पत्रिका, निर्देशिका, स्मारिका पुस्तकें तथा समय पर कवी सम्मेलन काय गीष्टियाँ व गद्य-पद्य साहित्यिक परिवर्धन आदि आयोजित करना एवं प्रवृत्तिका सामग्री का संग्रह करना, मुद्रण व लेन देन का बढावा देना ।
11.	हिन्दी को राजभाषा के रूप में संरक्षित को प्राथम भाषा के रूप में व अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापना को प्रादेशिक भाषा के रूप में समान दिये जाने हेतु विभिन्न प्रकल्प हस्त प्रकल्प हस्त में लेना व कियान्वित करवाना ।	हिन्दी को राजभाषा के रूप में संरक्षित को प्राथम भाषा के रूप में व अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापना को प्रादेशिक भाषा के रूप में समान दिये जाने हेतु विभिन्न प्रकल्प हस्त प्रकल्प हस्त में लेना व कियान्वित करवाना ।
12.	पिछडी व अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान व शिक्षण व विकास के लिये सुविधाएं प्रदान करना व साधन जुटाना ।	पिछडी व अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान व शिक्षण व विकास के लिये सुविधाएं प्रदान करना व साधन जुटाना ।
13.	समाजिक कार्या, शैक्षिक कार्या व राज्य व राष्ट्र के विकास में विशेष योगदान देने वाले व उपलब्धि हासिल करने वाले बालक बालिकाओं, पुरुषों, महिलाओं को समानित करना व करवाना ।	समाजिक कार्या, शैक्षिक कार्या व राज्य व राष्ट्र के विकास में विशेष योगदान देने वाले व उपलब्धि हासिल करने वाले बालक बालिकाओं, पुरुषों, महिलाओं को समानित करना व करवाना ।
14.	औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढावा देना ।	औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढावा देना ।
15.	विपदाओं के समय राहत कार्या के संचालन करने एवं करवाने को बढावा देना ।	विपदाओं के समय राहत कार्या के संचालन करने एवं करवाने को बढावा देना ।



सचिव
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

21.		जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार गोष्ठियों, शिविरों, सम्मेलनों एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, उनकी समस्याओं व विपदाओं एवं विसंगतियों का समाधान एवं निराकरण में सहयोग करवाना।	जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार गोष्ठियों, शिविरों, सम्मेलनों एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, उनकी समस्याओं व विपदाओं एवं विसंगतियों का समाधान एवं निराकरण में सहयोग करवाना।
22.		नशे एवं अश्लील पोस्टरों एवं अन्य सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध जनहित में अभियान चलाना।	नशे एवं अश्लील पोस्टरों एवं अन्य सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध जनहित में अभियान चलाना।
23.		पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं ग्रामीणों के विकास एवं ग्रामीण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्य करना।	पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं ग्रामीणों के विकास एवं ग्रामीण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
24.		कच्ची बस्ती व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे सब कार्य करना जिनकी आवश्यकता महसूस होती है एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जन सहभागिता तथा देश-विदेश की अन्य समान उद्देश्य वाली संस्था से धन व साधन जुटाना एवं जन हितार्थ खर्च करना।	कच्ची बस्ती व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे सब कार्य करना जिनकी आवश्यकता महसूस होती है एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं जन सहभागिता तथा देश-विदेश की अन्य समान उद्देश्य वाली संस्था से धन व साधन जुटाना एवं जन हितार्थ खर्च करना।
25.	नवीन उपनियम	वर्ष 1964-65 में निर्धारित 1 5- पृष्ठ तक 1. कर 2. बका वाले	उच्च शिक्षण हेतु उच्च शिक्षा के शिक्षण केन्द्र यथा-लॉ कॉलेज, बी:एड: कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि स्थापित कर संचालन करना। इन शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करना।



जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

सचिव

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
अध्यक्ष

(Handwritten signature)
संस्थापक
जयपुर

मंत्री/सचिव

(Handwritten signature)
कोषाध्यक्ष

(Handwritten signature)

29

JAN KALYAN AVM VIKAS SANSTHAN

Jaipur (Raj.)

B-18, Prem Colony, Nehru Nagar, Jaipur-302016

Ref. JKVS/2021/145

Date 19.01.21
03.02.22

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश

जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर राजस्थान सरकार के सहकार विभाग से एक पंजिकृत संस्थान है, जिसकी पंजिकरण संख्या-08/2002 है।

1. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर द्वारा जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में विगत 16 वर्ष से किराये के भवन में विधि उच्च शिक्षा संस्थान का संचालन किया जा रहा है।
2. संस्थान दिव्यांग बच्चों के लिये शिक्षण संस्थान, स्कूल शिक्षा-उच्च शिक्षा व विधि के क्षेत्र में समाज हित व युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना चाहता है।
3. संस्थान द्वारा विद्याधर नगर क्षेत्र में 5 से 10 हजार मीटर भूमि आवंटन होने पर अनुमानित 5 करोड़ की लागत से आवश्यकतानुसार भवन का निर्माण करवाया जायेगा।
4. संस्थान द्वारा आवंटित भूखण्ड पर सामाजिक, शैक्षणिक व दिव्यांग बच्चों के लिये गतिविधियों को मूर्तरूप दिया जायेगा।


(डॉ. यशपाल सिंह चिराना)

संस्थापक
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

Project Report

31

NAMAN CONSTRUCTIONS

382, gayatri nagar -a, Maharani farm durgapura Jaipur contact no. 9529227017

Jam Kalyan aum Vikas Sansthan, Jaipur

Date:- 10.01.2021 / 03.02.22

FORECAST ESTIMATE FOR PROPOSED CONSTRUCTION BASEMENT, GROUND, FIRST, SECOND, THIRD FLOOR AT LAW COLLEGE, SIKAR ROAD

Belongs to

Proposed Built-Up Area :- 4180.21 sq.mtr. (approx.)

S.No.	PARTICULARS	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Filling in plinth with sand under floors including watering, ramming, consolidating and dressing complete including cost of sand (drive way ,back set back, front set back, middle staircase portion)	3700	CUM	145	536500
2	Earth work in excavation in foundation trenches or drains including dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 mtr.including taking out excavated soil and refiling of jhiri with watering and ramming and disposal of surplus excavated soil as directed within a lead of 50 mtr. (Hard/Dense soil)	2124	CUM	31	65844
3	Providing and injection chloropyrifous emulsifiable concentrate(1%) timber care ground tretment chemically emulsion 1:3 as per manufacturers specification for PRE - CONSTRUCTIONAL anti- termite treatment as per IS 6313 PART-III 1971 as asmedned from time to time and creating chemical barrier under and arround the column pits, walls trenches, basement excavation, top surface of plinth, filling junction of wall and floor along the external perimetre of building, expansion joints surrounding of pipes and conduit etc, complete.	2824	SQM	31	87544
4	Providing and laying cement concrete including curing compaction etc. complete using stone aggregate 40 mm nominal size (crusher broken) in foundation plinth, excluding the cost of shuttering using 1:4: 8 (1Cement : 4Sand : 8aggregate Mix)	17	CUM	1060	18020
5	Random rubble stone masonry for foundation and plinth in cement sand mortar 1:6(1Cement : 6 Sand) for above 30 cm thick walls.	55	CUM	1962	107910

इंजि. देवेन्द्र जैन
Reg. No.: M.S. (B.P.C.)/2014/T-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

6	providing and laying cement concrete in RCC work for DPC including curing , compation, finishing with rendering in cement sand mortar 1:3 (1Cement : 3 Coarse sand) and making good the joints, excluding the cost of centering and shuttering and reinforcement using M - 20 grade Mix 1:1.5:3 (1 Cement:1.5 Coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	1720	CUM	2558	4399760
7	Providing and fabricating steel reinforcement for DPC including cutting, bending, placing in position and binding complete including cost of binding wire using hot rolled deformed (IS : 1139) cold twised (IS : 1786) bars.	15000	KG	71	1065000
8	Brick work in super structure upto 4.5 m height above plinth level with class designation 100 in cement mortar1:6 (1cement : 6coarse sand) including scaffolding, centering, shuttering and raking of joints etc.	2240	CUM	3217	7206080
9	Half brick masonry in super structure upto 4.5m height above plinth level of class designation 100 in cement mortar 1:6 (1cement : 6coarse sand)	708	SQM	140	99120
10	Providing and laying cement concrete in RCC work for roofs, suspended floors, cantilevers, staircases, landings, balconies, etc. including curing , compaction, finishing with rendering in cement sand mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and making good the joints, excluding the cost of shuttering and centering and reinforcement using M - 20 grade mix 1:1.5:3 (1cement: 1.5 coarse sand :3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	4180.65	CUM	2911	12169872.15
11	Centering and shuttering with ply wood or steel sheets including strutting, propping, bracing both ways with wooden members and removal of formwork for super structure upto 4.5m height for roofs, suspended floors cantilevers, staircases, landings, balconies etc.	4180	SQM	137	572660
12	Providing and fabrication steel reinforcement for roofs, suspending floors cantilevers, staircase ,landings, balconies etc. including cutting , bending, placing in position and binding complete including cost of wire using hot rolled deformed (IS : 1139) cold twised (IS : 1786) bars.	12000	KG	12	144000


इंजि. देवेन्द्र जैन
 Reg. No.: M.S. (B.P.C.)/2014/T-7
 जयपुर निकास प्राधिकरण
 जयपुर

13	Plaster on new surface on walls and ceiling in cement & sand mortar (1 6) including racking of joints etc. complete fine finished (20mm).	16554	SQM	168	2781072
14	Fine finishing coat of cement plaster sandla with cement , marble powder & lime mix 1 : 1 : 6 as per specification upto 4 mm thick.	8181	SQM	93	760833
15	Distemping with oil bound washable distemper of approved brand & manufacture to give an even shade. Including all sacaffolding: New work (Two or more coats) over & including scraping & priming coat with distemper primer.	16720	SQM	98	1638560
16	Soling work under floor (Providing & laying R.R. Stone kharanja in cement mortar 1:6 in one course :(15 cm Thick).	4180.21	SQM	110	459823.1
17	P/F vitrified tiles flooring over 20mm (avg.) thick base of CM 1:4 (1cement : 4 coarse sand) jointing with white cement mortar 1:2 (1 white cement : 2 marble dust)	4598	SQM	240	1103520
18	Supplying & fixing door, window chowkhats & other frames including antitermite treatment ,M.S. flat, hold fast of size 250x40x3 mm fixed with MS bolt 5mm dia 50mm long duly embedded in cement concrete M - 15 grade (M.P. Teak wood grade - II)	320	CUM	155	49600
19	Providing & fixing fully panelled leaf shutter for doors as per approved design & drawing with ordinary C.P./ oxidized steel fittings,& width of styles & top rails of 100 mm & bottom & lock rail width of 150mm & intermeditaes stiles including teak wood moulding an beading to 25mm x 5mm size on both faces complete M.P. teak wood grade - II (25mm)	1620	SQM	721	1168020
20	Providing & fixing partly panelled & partly glazed with 3mm plain glass double leaf shutters for windows & ventilators as per approved designed & drawings with approved steel fittings & width of styles & bottom & top rails of 75mm including intermediate rails 50 mm wide, beading to 25mmx15mm size on both faces complete. M.P. Teak Wood Grade - I (25mm)	1430	SQM	727	1039610

इंजि. देवेन्द्र जैनी
Reg. No.: M.S. (B.P.C.)2014/T-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

35

75'



101'-9"

इंजि. देवेन्द्र जैन
 Reg. No.: M.S. (B.P.C.)2014/T-7
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

ARCHITECTS/ CONSTRUCTIONS


NAMAN
 CONSTRUCTIONS

PROJECT: LAW COLLEGE

PROJECT TITLE: BASEMENT FLOOR DRAWING

DATE	DATE	FILE NO.	North
BY	BY	NO.	

126




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


इंजि. देवेन्द्र जैन
 Reg. No.: M.S. (B.P.C.) 2014/11-1
 जयपुर विभागत प्राधिकरण
 जयपुर

ARCHITECTS/CONSTRUCTIONS. NAMAN CONSTRUCTIONS	PROJECT: LAW COLLEGE	DRN BY	DATE	FILE NO.	North
	DRG TITLE: GROUND FLOOR PLAN	CHK BY	DRG. NO.		

37




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


 इंजि. देवेंद्र जैन
 Reg. No.: M.S. (B.P.C.)/2014/T-7
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

ARCHITECTS/CONSTRUCTIONS NAMAN CONSTRUCTIONS	PROJECT	DATE	SCALE	North
	LAW COLLEGE			
DRG. TITLE		DRG. NO.	DRG. DATE	
THIRD FLOOR PLAN				

59

75'



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


 इ.जि. देवेन्द्र जैन
 Reg. No.: M.S. (B.P.C.)/2014/T-7
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

ARCHITECTS/ CONSTRUCTIONS

NAMAN
CONSTRUCTIONS

PROJECT

LAW COLLEGE

DRWG

DATE

DESG

North

DEG. TITLE

THIRD FLOOR PLAN

DRWG

DATE

DESG

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

जन कल्याण एवं विकास संस्थान

बी-18, प्रेम कालोनी, नेहरु नगर, जयपुर

दिनांक 23/8/20 को वार्षिक आम सभा में निर्वाचित नवीन प्रबन्ध कारिणी की सूची:-

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1	श्री वी. एन. शर्मा	श्री एस.एल.शर्मा	3-च-33, जवाहर नगर, जयपुर	अध्यक्ष
2	डॉ. यशपाल सिंह	श्री बंशी सिंह	बी-18, प्रेम कालोनी, नेहरु नगर, जयपुर	सचिव
3	डॉ. अशोक चौहान	स्व. श्री मुकेश चौहान	डी-10, विश्वविद्यालय क्वार्टर्स, जयपुर	उपाध्यक्ष
4	श्री किशन सिंह राठौड़	श्री बी.एस.राठौड़	एस-17, शास्त्रीनगर, जयपुर	कोषाध्यक्ष
5	डॉ. दिनेश शाह	श्री बी.एम.शाह	6, एल. आई. सी. फ्लेट्स, विद्याधर नगर, जयपुर	सदस्य
6	डॉ. बलवन्त सिंह चिराणा	श्री बजरंग सिंह	विद्या भारती स्कूल, सीकर	सदस्य
7	डॉ. अनिता घीया	श्री आर.एन.घीया	30, भगवती सदन, कैलाशपुरी, अजमेर	सदस्य
8	श्री पृथ्वी सिंह	श्री ठाकुर दास	बी-100, प्रेम कालोनी, जयपुर	सदस्य
9	श्री भगत राम	श्री गेन्दौराम	1267, खेवालो का रास्ता, जयपुर	सदस्य
10	श्रीमती विष्णु कंवर	श्री दौलत सिंह	इन्द्रा वर्मा कालोनी, शास्त्रीनगर, जयपुर	सदस्य
11	श्री रणजीत सिंह	स्व. श्री हरी सिंह	पशुपति कालोनी, शास्त्रीनगर, जयपुर	सदस्य
12	श्रीमती पूजा कंवर	श्री गणेश सिंह	10, तादी नगर, सीकर	सदस्य
13	श्रीमती किरण	श्री महावीर सिंह	10, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर	सदस्य
14	डॉ. अंजू गहलोत	श्री अजय सिंह	108, नन्दपुरी, मालवीया नगर, जयपुर	प्राचार्य लॉ कालेज राज. विश्वविद्यालय
15	प्रो. हर्ष द्विवेदी	प्रो.आर.सी.द्विवेदी	ई-5, प्रधान मार्ग, मालवीया नगर, जयपुर	प्रोफेसर राज. वि.वि
16	डा० अरविन्द पारीक	श्री एस.के.पारीक	14, सूर्य नगर, टॉक रोड़, जयपुर	एक्स ऑफिसियो
17	जिला शिक्षा अधिकारी		डा.राधाकृष्ण-शिक्षा संकुल, जयपुर	विभागीय प्रतिनिधि

अध्यक्ष



सचिव

कोषाध्यक्ष

10-9-20

सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान

जन कल्याण एवं विकास संस्थान

बी-18, प्रेम कालोनी, नेहरू नगर, जयपुर

तुलनात्मक संशोधित विद्यान

क्र.सं.	विद्यान की धारा	धारा का शीर्षक	पूर्व में रजिस्टर्ड विद्यान में उल्लेख	संशोधित विद्यान में उल्लेख
1	11	कार्यकारिणी का गठन	<p>संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक 3. सचिव-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक 5. सदस्य-बारह <p>इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 04 पदाधिकारी 12 सदस्य तथा कुल 16 सदस्य होंगे।</p>	<p>संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक 3. सचिव-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक 5. विभागीय प्रतिनिधि-एक (जिला शिक्षा अधिकारी) 6. सदस्य-बारह <p>इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 05 पदाधिकारी 12 सदस्य तथा कुल 17 सदस्य होंगे।</p>



V.N.
अध्यक्ष

[Signature]
सचिव

[Signature]
कोषाध्यक्ष

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विद्यान में दाखिल कराये गये विद्यान का पृष्ठ सं. से पूर्व के पृष्ठ सं. तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 10-9-2020

2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर *[Signature]*

[Signature]
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर

[Signature]
सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

DR
To
De
Tot

Reti
Due
Mte

Page

Page

(45)

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN
Depreciation Chart For Assessment Year '2021-2022'

Business Name : JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN

S.No	Description /Block of Assets	Rate	Opening WDV	Additions		Deductions		Normal Dep.	Additional Dep.	Total Dep.	Closing WDV
				180 days or more	Less than 180 days	180 days or more	Less than 180 days				
1	Ship 20% - Books	20.00 %	904706.00	153508.00	140000.00	0.00	0.00	225643.00	0.00	225643.00	972571.00
2	Furniture and fittings 10% - Furniture and fittings	10.00 %	661743.00	195000.00	106000.00	0.00	0.00	90974.00	0.00	90974.00	871769.00
3	Machinery and plant 15% - Machinery and plant	15.00 %	1006701.00	56731.00	1571290.00	0.00	0.00	277362.00	0.00	277362.00	2357360.00
4	Machinery And plant 40% - Machinery and plant	40.00 %	50482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20193.00	0.00	20193.00	30289.00
5	Buildings 10% - Buildings	10.00 %	13087189.00	2710055.00	1431000.00	0.00	0.00	1651274.00	0.00	1651274.00	15576970.00
Total			15710821.00	3115294.00	3248290.00	0.00	0.00	2265446.00	0.00	2265446.00	19808959.00

Details of Bank Accounts :

No of Bank Account :- 1

Sr.No.	IFS Code	Name & Branch	Account No.	Type
1	UCBA0001385	UCO BANK-GANDHI CIRCLE (GDC) JAIPUR	13850100003704	Current

Verified By : YASH PAL SINGH

(46)

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN

PAN : AAAAJ4616J

Tax Audit Report

Audit Clause 44AB(e): Audit if Assesee claimed Income less than Deemed income u/s 44AD

Financial Year : 2020-2021
Assessment Year : 2021-2022
Date of Audit Report : 01/01/2022



AMIT K AGARWAL & CO.
AMIT KUMAR AGARWAL
Chartered Accountants

FORM NO. 3CB

[See rule 6G (1)(b)]

**Audit report under section 44AB of the Income-tax Act, 1961,
in the case of a person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of the rule 6G**

1. We have examined the balance sheet as on **31 March 2021**, and the profit and loss account for the period beginning from **01 April 2020** to ending on **31 March 2021**, attached herewith, of **JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN, B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016, PAN - AAAAJ4616J**

2. We certify that the balance sheet and the profit and loss account are in agreement with the books of account maintained at the head office at **B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016** and Nil. branches.

3. (a) We report the following observations/ comments/ discrepancies/ inconsistencies; if any :

(b) Subject to above.--

- (A) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit
- (B) In our opinion, proper books of account have been kept by the head office and branches of the assessee so far as appears from our examination of the books.
- (C) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read with notes thereon, if any, give a true and fair view: -
 - (i) In the case of the balance sheet, of the state of the affairs of the assessee as at **31 March 2021**; and
 - (ii) In the case of the profit and loss account of the Profit of the assessee for the year ended on that date.

4. The statement of particulars required to be furnished under section 44AB is annexed herewith in Form No. 3CD.

5. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the particulars given in the said Form No. 3CD are true and correct subject to following observations/ qualifications, if any:

S.No	Qualification	Comments
1	Proper stock records are not maintained by the assessee.	As explained to us, it is not possible to maintain stock record
2	Records necessary to verify personal nature of expenses not maintained by the assessee.	As explained to us, assessee has not recorded personal expenses in books of accounts.
3	Records produced for verification of payments through account payee cheque were not sufficient	The assessee has not made any payments exceeding the limit in section 40A(3)/269SS/269T in Cash. However, it is not possible for us to verify whether the payments in excess the specified limit in section 40A(3) /269SS/269T have been made otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft, as the necessary evidence are not in possession of the assessee.
4	Creditors under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 are not ascertainable	The information regarding applicability of MSMED Act, 2006 to the various suppliers/parties is not available with the assessee, hence information as required vide Clause 22 of Chapter V of MSMED Act, 2006 is not been given.
5	Information regarding demand raised or refund issued during the previous year under any tax laws other than income-tax Act, 1961 and Wealth tax Act, 1957 was not made available.	This has been reported as informed to us by the management.
6	Others	Since we are auditing the business accounts of Jan Kalyan Avam Vikas Sansthan. As such any amount received in the personal account of members is outside the scope of our audit.

Place : JAIPUR
Date : 01/01/2022

For **AMIT K AGARWAL & CO.**
(Chartered Accountants)
Reg No. :0013605C



AMIT KUMAR AGARWAL
(Proprietor)

Membership No. : 406836

PAN : AEJPA0523K

UDIN : 22406836AAAAAA2464

FORM NO. 3CD

[See rule 6G (2)]

Statement of particulars required to be furnished under section 44AB of the Income-tax Act, 1961

PART-A

1	Name of the assessee	JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN		
2	Address	B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016		
3	Permanent Account Number (PAN)	AAAAJ4616J		
4	Whether the assessee is liable to pay indirect tax like excise duty, service tax, sales tax, goods and service tax, customs duty, etc. if yes, please furnish the registration number or GST number or any other identification number allotted for the same	No		
	S.No.	Nature of Registration	State	Registration Number
5	Status	Association Of Persons (AOP)		
6	Previous year from	01 April 2020 to 31 March 2021		
7	Assessment Year	2021-2022		
8	Indicate the relevant clause of section 44AB under which the audit has been conducted	Clause 44AB(e)		
8a	Whether the assessee has opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB/115BAC/115BAD?	NO		

PART-B

9a	If firm or association of persons, indicate names of partners/members and their profit sharing ratios. In case of AOP, whether shares of members are indeterminate or unknown?				
	S.No.	Name	Profit Sharing Ratio(%)		
	1	SH. V. N. SHARMA	6.25		
	2	DR. YASHPAL SINGH	6.25		
	3	DR. ASHOK CHOUHAN	6.25		
	4	SH. KISHAN SINGH RATHORE	6.25		
	5	DR. DINESH SHAW	6.25		
	6	DR. ANITA DHIYA	6.25		
	7	SH. PRITHVI SINGH	6.25		
	8	SH. BHAGAT RAM	6.25		
	9	SMT. VISHNU KANWAR	6.25		
	10	SH. RANJEET SINGH	6.25		
	11	SMT. POOJA KANWAR	6.25		
	12	SMT. KIRAN	6.25		
	13	DR. ANJU GEHLOT	6.25		
	14	PROFESSOR HARSH DWIVEDI	6.25		
	15	DR. ARVIND PAREEK	6.25		
	16	DR. BALWANT SINGH CHIRANA	6.25		
9b	If there is any change in the partners or members or in their profit sharing ratios since the last date of preceding year, the particulars of such change.				
	Date of Change	Name of Partner/Member	Type of Change	Old Profit Sharing Ratio	New Profit Sharing ratio
10a	Nature of business or profession (If more than one business or profession is carried on during the previous year, nature of every business or profession)				
	S.No.	Sector	Sub Sector	Code	
	1	EDUCATION SERVICES	Other education services n.e.c.	17007	
10b	If there is any change in the nature of business or profession, the particulars of such change.				
	S.No.	Business	Sector	Sub Sector	Code
11	Whether books of account are prescribed under section 44AA, if yes, list of books so prescribed.				
	Books Prescribed				
11b	List of books of account maintained and the address at which the books of accounts are kept. (In case books of account are				



maintained on a computer system, mention the books of account generated by such computer system. If the books of accounts are not maintained on a computer system, please furnish the addresses of locations, along with the details of books of accounts maintained at each location (books maintained)

Books Maintained	Address Line 1	Address Line 2	City/Town/District	State	Pin Code
CASH BOOK, BANK BOOK, JOURNAL, LEDGER	B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR		JAIPUR	RAJASTHAN	302016

11c List of books of account and nature of relevant documents examined.
Books Examined
CASH BOOK, BANK BOOK, JOURNAL, LEDGER

12 Whether the profit and loss account includes any profits and gains assessable on presumptive basis, if yes, indicate the amount and the relevant section (44AD, 44AE, 44AF, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, Chapter XII-G, First Schedule or any other relevant section.) **No**

S.No	Section	Amount
------	---------	--------

13a Method of accounting employed in the previous year. **Mercantile system**

13b Whether there had been any change in the method of accounting employed vis-a-vis the method employed in the immediately preceding previous year. **No**

13c If answer to (b) above is in the affirmative, give details of such change, and the effect thereof on the profit or loss.

S.No	Particulars	Increase in Profit(Rs.)	Decrease in Profit(Rs.)
------	-------------	-------------------------	-------------------------

13d Whether any adjustment is required to be made to the profits or loss for complying with the provisions of income computation and disclosure standards notified under section 145(2) **No**

13e If answer to (d) above is in the Affirmative give details of such adjustments:

S.No	Particulars	Increase in Profit(Rs.)	Decrease in Profit(Rs.)	Net Effect (Rs.)
------	-------------	-------------------------	-------------------------	------------------

13f Disclosure as per ICDS

S.No	ICDS	Disclosure
1	ICDS I - Accounting Policies	The assessee has followed the fundamental accounting policies of going concern, consistency, and accrual. The assessee has followed method of accounting prescribed u/s 145 of income tax act, 1961 in preparing the books of accounts. no change in accounting policies during the previous year.
2	ICDS II - Valuation of Inventories	Valuation inventories are valued at cost or NRV which ever is lower
3	ICDS III - Construction Contracts	NA
4	ICDS IV - Revenue Recognition	Amount of revenue from transaction recognized whenever revenue accrued during the year
5	ICDS V - Tangible Fixed Assets	As per Fixed Assets and Depreciation Chart annexed in FORM 3CD
6	ICDS VII - Government Grants	NA
7	ICDS IX - Borrowing Costs	As per accounting policies & notes to financial statements
8	ICDS X - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	NA

14a Method of valuation of closing stock employed in the previous year. **3-Lower of Cost or Market rate**

14b In case of deviation from the method of valuation prescribed under section 145A, and the effect thereof on the profit or loss, please furnish: **No**

S.No	Particulars	Increase in Profit(Rs.)	Decrease in Profit(Rs.)
------	-------------	-------------------------	-------------------------

15 Give the following particulars of the capital assets converted into stock in trade:-

S.No	(a) Description of capital asset	(b) Date of acquisition	(c) Cost of acquisition	(d) Amount at which the asset is converted into stock-in-trade
------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	--

16 Amounts not credited to the profit and loss account, being:-

16a The items falling within the scope section 28

S.No	Description	Amount
------	-------------	--------

16b The proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax or refunds of sales tax or value added tax, Goods and Service tax where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned:

S.No	Description	Amount
------	-------------	--------

16c Escalation claims accepted during the previous year

S.No	Description	Amount
------	-------------	--------

16d Any other item of income

S.No	Description	Amount
------	-------------	--------

16e Capital receipt, if any.

S.No	Description	Amount
------	-------------	--------



When the value of the building or both at the end of the present year for the determination is less than value at the end of the previous year, the value at the end of the previous year shall be the value for the purpose of depreciation.

Sl. No.	Name of the property	Address (Line 1)	Address (Line 2)	City/Town/Village	Pin Code	Consideration received or accrued	Value adopted or assessed or assessable	Weather provisions of section 43CA or (or) proviso to clause (x) of sub-section (2) of section 56 applicable

18 Particulars of depreciation allowable as per the Income-tax Act, 1961 in respect of each asset or block of assets, as the case may be, in the following form :-

Description of Block of Assets/Class of Assets	Rate of Depreciation (in Percentage)	Opening WDV	Adjustment to WDV U/s 115BAA	Adjustment to WDV U/s 115BAC/115BAD	Adjusted WDV	Additions					Deductions	Depreciation Allowable	Written Down Value at the end of the year
						Purchase Value	MOD VAT	Change in Rate of Exchange	Subsidy/Grant	Total of Purchases			
Ship 20%	20	904706	0	0	904706	293508	0	0	0	293508	0	225642.8	972571.20
Furniture and fittings 10%	10	661743	0	0	661743	301000	0	0	0	301000	0	90974.3	871768.70
Machinery and plant 15%	15	1006701	0	0	1006701	1628021*	0	0	0	1628021	0	277361.55	2357360.45
Machinery And plant 40%	40	50482	0	0	50482	0	0	0	0	0	0	20192.8	30280.20
Buildings 10%	10	13087189	0	0	13087189	4141055	0	0	0	4141055	0	1661274.4	15576969.60

*For Addition and Deduction Details refer Addition and Deduction Details Tables at the End of the Page

19 Amounts admissible under sections:

S.No	Section	Amount Debited to profit and loss account	Amounts admissible as per the provisions of the Income-tax Act, 1961 or Income-tax Rules, 1962 or any other guidelines

20a Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend. [Section 36(1)(ii)]

S.No	Description	Amount

20b Details of contributions received from employees for various funds as referred to in section 36(1)(va):

S.No	Nature of Fund	Sum received from Employees	Due date for Payment	Actual amount paid	Actual Payment Date

21a Please furnish the details of amounts debited to the profit and loss account, being in the nature of capital, personal, advertisement expenditure etc.

Capital Expenditure		
S.No	Particulars	Amount in Rs.
Personal Expenditure		
S.No	Particulars	Amount in Rs.
Advertisement Expenditure in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like published by a political party		
S.No	Particulars	Amount in Rs.
Expenditure incurred at clubs being entrance fees and subscriptions		
S.No	Particulars	Amount in Rs.
Expenditure incurred at clubs being cost for club services and facilities used		
S.No	Particulars	Amount in Rs.
Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force		
S.No	Particulars	Amount in Rs.
Expenditure by way of any other penalty or fine not covered above		
S.No	Particulars	Amount in Rs.
Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law		
S.No	Particulars	Amount in Rs.

21b Amounts inadmissible under section 40(a):-



(C) Amount to non-resident referred to in sub-clause (i)

(A) Details of payment on which tax is not deducted

S.No	Date of Payment	Amount of Payment	Nature of Payment	Name of Payee	PAN of Payee	Address Line 1	Address Line 2	City/Town/District	Pin code

(B) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid during the previous year or in the subsequent year before the expiry of time prescribed under section 200(1)

S.No	Date of Payment	Amount of Payment	Nature of Payment	Name of Payee	PAN of Payee	Address Line 1	Address Line 2	City/Town/District	Pin code	Amount of tax Deducted

(ii) As payment referred to in sub-clause (ia)

(A) Details of payment on which tax is not deducted

S.No	Date of Payment	Amount of Payment	Nature of Payment	Name of Payee	PAN of Payee	Address Line 1	Address Line 2	City/Town/District	Pin code

(B) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in sub-section(1) of section 139.

S.No	Date of Payment	Amount of Payment	Nature of Payment	Name of Payee	PAN of Payee	Address Line 1	Address Line 2	City/Town/District	Pin code	Amount of tax Deducted	Amount of tax Deposited

(iii) Fringe benefit tax under sub-clause (ic)

(iv) Wealth tax under sub-clause (iia)

(v) Royalty, license fee, service fee etc. under sub-clause (iib)

(vi) Salary payable outside India/to a non-resident without TDS etc. under sub-clause (iii)

S.No	Date of Payment	Amount of Payment	Name of Payee	PAN of Payee	Address Line 1	Address Line 2	City/Town/District	Pin code

(vii) Payment to PF/Other fund etc. under sub-clause (iv)

(viii) Tax paid by employer for perquisites under sub-clause (v)

21c Amounts debited to profit and loss account being, interest, salary, bonus, commission or remuneration inadmissible under section 40(b)/40(ba) and computation thereof;

S.No	Particulars	Section	Amount Debited to P/L A/c	Amount Admissible	Amount Inadmissible	Remarks

21d Disallowance/ deemed income under section 40A(3):

(A) On the basis of the examination of books of account and other relevant documents/ evidence, whether the expenditure covered under section 40A(3) read with rule 6DD were made by account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft. If not, please furnish the details:

S.No	Date of Payment	Nature of Payment	Amount (In Rs.)	Name of Payee	PAN of payee	Aadhaar Number of Payee

(B) On the basis of the examination of books of account and other relevant documents/ evidence, whether the payment referred to in section 40A(3A) read with rule 6DD were made by account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft. If not, please furnish the details of amount deemed to be the profits and gains of business or profession under section 40A(3A)

S.No	Date of Payment	Nature of Payment	Amount (In Rs.)	Name of Payee	PAN of payee	Aadhaar Number of Payee

21e Provision for payment of gratuity not allowable under section 40A(7)

21f Any sum paid by the assessee as an employer not allowable under section 40A(9)

21g Particulars of any liability of a contingent nature

S.No	Nature of Liability	Amount in Rs.

21h Amount of deduction inadmissible in terms of section 14A in respect of the expenditure incurred in relation to income which does not form part of the total income.

S.No	Nature of Liability	Amount in Rs.

21i Amounts inadmissible under the proviso to section 36(1)(iii).

22 Amount of interest inadmissible under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006

23 Particulars of payments made to persons specified under section 40A(2)(b)



S.No.	Name of Related Person	PAN of Related Person	Relation	Nature of Transaction	Payment Made		
Amounts deemed to be profits and gains under section 32AC, 32AD or 33AB or 33ABA or 33AC.							
S.No.	Section	Description	Amount				
25 Any amount of profit chargeable to tax under section 41 and computation thereof.							
S.No.	Name of Person	Amount of Income	Section	Description of Transaction	Computation if any		
26 (i)* In respect of any sum referred to in clause (a), (b), (c), (d), (e), (f) or (g) of section 43B, the liability for which:-							
26(i)A Pre-existed on the first day of the previous year but was not allowed in the assessment of any preceding previous year and was							
26(i)(A)(a) Paid during the previous year							
S.No.	Section	Nature of Liability		Amount			
26(i)(A)(b) No Paid during the previous year							
S.No.	Section	Nature of Liability		Amount			
26(i)B was incurred in the previous year and was							
26(i)(B)(a) Paid on or before the due date for furnishing the return of income of the previous year under section 139(1)							
S.No.	Section	Nature of Liability		Amount			
26(i)(B)(b) Not paid on or before the aforesaid date							
S.No.	Section	Nature of Liability		Amount			
(State whether sales tax, customs duty, excise duty or any other indirect tax, levy, cess, impost etc. is passed through the profit and loss account.) No							
27a Amount of Central Value Added Tax credits availed of or utilized during the previous year and its treatment in the profit and loss account and treatment of outstanding Central Value Added Tax Credits / Input Tax Credit (ITC) in accounts.					No,		
CENVAT			Amount	Treatment in Profit and Loss/Accounts			
Opening Balance							
CENAVT Availed							
CENVAT Utilized							
Closing/Outstanding Balance							
27b Particulars of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account:-							
S.No.	Type	Particulars		Amount	Prior period to which it Relates		
28 Whether during the previous year the assessee has received any property, being share of a company not being a company in which the public are substantially interested, without consideration or for inadequate consideration as referred to in section 56(2)(vii), if yes, please furnish the details of the same							
S.No.	Name of the person from which shares received	PAN of the Company	Name of the Company whose are shares received	CIN of the Company	No. of Shares	Amount of Consideration Paid	Fair Market Value of Shares
29 Whether during the previous year the assessee received any consideration for issue of shares which exceeds the fair market value of the shares as referred to in section 56(2)(vii), if yes, please furnish the details of the same.							
S.No.	Name of the person from whom consideration received for issue of shares	PAN of the person	Nc. of Shares	Amount of consideration	Fair Market Value of Shares		
29A (a) Whether any amount is to be included as income chargeable under the head 'income from other sources' as referred to in clause (ix) of sub-section (2) of section 56					No		
S.No.	Nature of Income			Amount			
29B (a) Whether any amount is to be included as income chargeable under the head 'income from other sources' as referred to in clause (x) of sub-section (2) of section 56					No		
S.No.	Nature of Income			Amount			



Details of any amount borrowed on hundi or any amount due thereon (including interest on the amount borrowed) repaid, otherwise than through an account payee cheque. [Section 69D]													No.
S.No	Name of the person from whom amount borrowed or repaid on hundi	PAN of the Person	Address Line 1	Address Line 2	City/Town/District	State	Pin Code	Amount Borrowed	Date of Borrowing	Amount due including Interest	Amount Repaid	Date of Repayment	


30A (a) Whether primary adjustment to transfer price, as referred to in sub-section (1) of section 92CE, has been made during the previous year							No
S.No	Under which clause of sub-section (1) of section 92CE primary adjustment is made?	Amount (in Rs.) of primary adjustment	Whether the excess money available with the associated enterprise is required to be repatriated to India as per the provisions of sub-section (2) of section 92CE	If yes, whether the excess money has been repatriated within the prescribed time	If no, the amount (in Rs.) of imputed interest income on such excess money which has not been repatriated within the prescribed time	Expected date of repatriation of money in DD/MM/YY YY format	

30B (a) Whether the assessee has incurred expenditure during the previous year by way of interest or of similar nature exceeding one crore rupees as referred to in sub-section (1) of section 94B								No
S.No	Amount (in Rs.) of expenditure by way of interest or of similar nature incurred	Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) during the previous year (in Rs.)	Amount (in Rs.) of expenditure by way of interest or of similar nature as per (i) above which exceeds 30% of EBITDA as per (ii) above	Details of interest expenditure brought forward as per sub-section (4) of section 94B	Details of interest expenditure brought forward as per sub-section (4) of section 94B	Details of interest expenditure carried forward as per sub-section (4) of section 94B	Details of interest expenditure carried forward as per sub-section (4) of section 94B	
				Assessment Year	Amount	Assessment Year	Amount	

30c Whether the assessee has entered into an impermissible avoidance arrangement, as referred to in section 96, during the previous year (This Clause is kept in abeyance till 31st March, 2022)			NIL
S.No	Nature of impermissible avoidance arrangement	Amount (in Rs.) of tax benefit in the previous year arising, in aggregate, to all the parties to the arrangement	

31a Particulars of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269SS taken or accepted during the previous year										
S.No	Name of the Lender or Depositor	Address of the Lender or Depositor	PAN of the Lender or Depositor	Aadhaar Number of the Lender or Depositor	Amount of Loan or deposit taken or accepted	Whether the loan or deposit was squared up during the previous year	Maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year	Whether the Loan or Deposit was Accepted by Cheque or Bank Draft or Electronic Clearing System	If Loan or Deposit taken or Repaid by Cheque or Bank Draft whether Same by Repaid by Account Payee Cheque or Bank Draft	

31b Particulars of each specified sum in an amount exceeding the limit specified in section 269SS taken or accepted during the previous year



S.No	Name of the Lender or Depositor	Address of the Lender or Depositor	PAN of the Lender or Depositor	Aadhaar Number of the Lender or Depositor	Amount of Loan or deposit taken or accepted	Whether the Loan or Deposit was Accepted by Cheque or Bank Draft or Electronic Clearing System	If Loan or Deposit taken or Repaid by Cheque or Bank Draft whether Same by Repaid by Account Payee Cheque or Bank Draft

31(ba) Particulars of each receipt in an amount exceeding the limit specified in section 269ST							
S.No	Name of the Payer	Address of the Payer	Permanent Account Number (if available with the assessee) of the Payer	Aadhaar Number (if available with the assessee) of the Payer	Nature of transaction	Amount of receipt (in Rs.)	Date of receipt

31(bb) Particulars of each receipt in an amount exceeding the limit specified in section 269ST						
S.No	Name of the Payer	Address of the Payer	Permanent Account Number (if available with the assessee) of the Payer	Aadhaar Number (if available with the assessee) of the Payer	Amount of receipt (in Rs.)	

31(bc) Particulars of each payment in an amount exceeding the limit specified in section 269ST							
S.No	Name of the Payee	Address of the Payee	Permanent Account Number (if available with the assessee) of the Payer	Aadhaar Number (if available with the assessee) of the Payer	Nature of transaction	Amount of receipt (in Rs.)	Date of payment

31(bd) Particulars of each payment in an amount exceeding the limit specified in section 269ST						
S.No	Name of the Payee	Address of the Payee	Permanent Account Number (if available with the assessee) of the Payer	Aadhaar Number (if available with the assessee) of the Payer	Amount of receipt (in Rs.)	

Particulars at (ba), (bb), (bc) and (bd) need not be given in the case of receipt by or payment to a Government company, a banking Company, a post office savings bank, a cooperative bank or in the case of transactions referred to in section 269SS or in the case of persons referred to in Notification No. S.O. 2065(E) dated 3rd July, 2017

31c Particulars of each repayment of loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269T made during the previous year: -									
S.No	Name of the Payee	Address of the Payee	PAN of the Payee	Aadhaar Number	Amount of Repayment	Maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year	Whether the Loan or Deposit was Repaid by Cheque or Bank Draft or Electronic Clearing System	If Loan or Deposit taken or Repaid by Cheque or Bank Draft whether Same by Repaid by Account Payee Cheque or Bank Draft	

31d Particulars of repayment of loan or deposit or any specified advance in an amount exceeding the limit specified in section 269T received otherwise than by a cheque or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account during the previous year

S.No	Name of the Payer	Address of the Payer	PAN of the	Aadhaar Number	Amount of repayment of loan or



	Payer	of the Payer	deposit or any specified advance receipt otherwise than by a cheque or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account during the previous year
--	-------	--------------	--

31c	Particulars of repayment of loan or deposit or any specified advance in an amount exceeding the limit specified in section 269T received by a cheque or bank draft which is not an account payee cheque or account payee bank draft during the previous year					
	S.No	Name of the Payer	Address of the Payer	PAN of the Payer	Aadhaar Number of the Payer	Amount of loan or deposit or any specified advance received by a cheque or bank draft which is not an account payee cheque or account payee bank draft

Note: (The particulars (i) to (iv) at (b) and comment at (c) above need not be given in the case of a repayment of any loan or deposit taken or accepted from Government, Government company, banking company of a corporation established by a Central, State or Provincial Act)

32a	Details of brought forward loss or depreciation allowance, in the following manner, to the extent available.								
	S.No	Assessment Year	Nature of loss/allowance	Amount as Returned	All Losses/ Allowances not allowed u/s 115BAA/115BAC /115BAD	Withdrawal of additional depreciation due to opting sec 115BAC/115BAD	Amount as assessed	Order Under section and Date of order.	Remarks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

32b	Whether a change in shareholding of the company has taken place in the previous year due to which the losses incurred prior to the previous year cannot be allowed to be carried forward in terms of section 79.	NA
-----	--	----

32c	Whether the assessee has incurred any speculation loss referred to in section 73 during the previous year, if yes, please furnish the details of the same. If Yes, Please furnish the details of the same	No
-----	--	----

32d	Whether the assessee has incurred any loss referred to in section 73A in respect of any specified business during the previous year, if yes, please furnish details of the same If Yes, Please furnish the details of the same	No
-----	---	----

32e	In case of a company, please state that whether the company is deemed to be carrying on a speculation business as referred in explanation to section 73, if yes, please furnish the details of speculation loss if any incurred during the previous year. If Yes, Please furnish the details of speculation loss if any incurred during the previous year	NA
-----	--	----

33	Section-wise details of deductions, if any, admissible under Chapter VIA or Chapter III (Section 10AA, Section 10AAA)	No
	S.No Section	Amount

34a	Whether the assessee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter XVII-BB, if yes please furnish:	No									
	S.No	TAN	Section	Nature of Payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5)	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)

34b	Whether the assessee is required to furnish the statement of tax deducted or tax collected, if yes please furnish the details	No				
	S.No	TAN	Type of Form	Due Date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are



required to be reported. If not, please furnish list of all details / transactions which are not reported

34c	Whether the assessee is liable to pay interest under section 201(1A) or section 206C(7). If yes, please furnish			Amount	Dates of Payment
	S.No	TAN	Amount of interest under section 201(1A) / 206C(7) is payable		

35a	In the case of a trading concern, give quantitative details of principal items of goods traded							
	S.No	Item Name	Unit	Opening Stock	Purchases during the previous year	Sales during the previous year	Closing Stock	Shortage/excess, if any

35b	In the case of a manufacturing concern, give quantitative details of the principal items of raw materials, finished products and by-products										
35bA	Raw Materials:										
	S.No	Item Name	Unit	Opening Stock	Purchases during the previous year	Consumption during the previous year	Sales during the previous year	Closing Stock	*Yield of Finished Goods	*Percentage of Yield	Shortage/excess, if any

35bB	Finished Products:									
	S.No	Item Name	Unit	Opening Stock	Purchases during the previous year	Quantity manufactured during the previous year	Sales during the previous year	Closing Stock	Shortage/excess, if any	

35bC	By Products:									
	S.No	Item Name	Unit	Opening Stock	Purchases during the previous year	Quantity manufactured during the previous year	Sales during the previous year	Closing Stock	Shortage/excess, if any	

36A	(a) Whether the assessee has received any amount in the nature of dividend as referred to in sub-clause (e) of clause (22) of section 2		No
	S.No	Amount Received	Date of Receipt

37	Whether any cost audit was carried out	NA
	if yes, give the details, if any, of disqualification or disagreement on any matter/ item/ value/ quantity as may be reported/ identified by the cost auditor	

38	Whether any audit was conducted under the Central Excise Act, 1944	NA
	if yes, give the details, if any, of disqualification or disagreement on any matter/ item/ value/ quantity as may be reported/ identified by the auditor	

39	Whether any audit was conducted under section 72A of the Finance Act, 1994 in relation to valuation of taxable services.	NA
	if yes, give the details, if any, of disqualification or disagreement on any matter/ item/ value/ quantity as may be reported/ identified by the auditor	

40	Details regarding turnover, gross profit, etc., for the previous year and preceding previous year.						
	No	Particulars	Previous Year			Preceding Previous Year	
a		Total turnover of the assessee		9369507		11504641	
b		Gross Profit/Turnover	9369507	9369507	100	11504641	11504641
c		Net Profit/Turnover	63094	9369507	0.67	244419	11504641
d		Stock In Trade/Turnover	0	9369507	0	0	11504641
e		Material Consumed/Finished Goods Produced	0	0	0	0	0

41	(The details required to be furnished for principal items of goods traded of manufactured or services rendered) Please furnish the details of demand raised or refund issued during the previous year under any tax laws other than Income Tax Act, 1961 and Wealth tax Act, 1957 along with details of relevant proceedings							
	S.No	Financial Year to which	Name of other Tax	Type (Demand)	Date of	Amount	Remark	



demand/refund relates to	Law	raised/ Refund received	demand raised/refund received
--------------------------	-----	-------------------------	-------------------------------

42	(a) Whether the assessee is required to furnish statement in Form No.61 or Form No. 61A or Form No. 61B						No
S.No	Income Tax Department Reporting - Entity Identification Number	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing if furnished	Whether the form contains information about all details/transactions which are required to be reported.	If not please furnish list of the details/transactions which are not reported	

43	(a) Whether the assessee or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report as referred to in sub-section (2) of section 286					No
S.No	Whether report has been furnished by the assessee or its parent entity or an alternate reporting entity	Name of parent entity	Name of alternate reporting entity (if applicable)	Date of furnishing of report		

44	Break of total expenditure of entities registered or not registered under the GST: (This clause is kept in abeyance till 31 st March ,2022)					
Sl. No.	Total amount of Expenditure incurred during the year	Expenditure in respect of entities registered under GST				Expenditure relating to entities not registered under GST
		Relating to goods or services exempt from GST	Relating to entities falling under composition scheme	Relating to other registered entities	Total payment to registered entities	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date : 01/01/2022
Place : JAIPUR

For AMIT K AGARWAL & CO.
(Chartered Accountants)
Reg No. :0013605C

AMIT KUMAR AGARWAL
(Proprietor)
Membership No : 406836
PAN :AEJPA0523K
UDIN : 22406836AAAAAA2464

Addition Details (From Point No. 18)									
S.No	Description of Block of Assets	Date of Purchase	Date Put to Use	Adjustment on account of				Total Amount	
				Amount	MODVAT	Exchange Rate Change	Subsidy/Grant		
1	BOOKS AND PREODICAL	18/09/2020	18/09/2020	28508	0	0	0	28508	
2	BOOKS AND PREODICAL	04/01/2021	04/01/2021	100000	0	0	0	100000	
3	BOOKS AND PREODICAL	15/03/2021	15/03/2021	40000	0	0	0	40000	
4	LABORATORY EQUIPMENTS	22/09/2020	22/09/2020	125000	0	0	0	125000	



(L) 20

	Total (Ship 20%)			293508	0	0	0	293508
1	FURNITURES	24/02/2021	24/02/2021	66000	0	0	0	66000
2	FURNITURES	02/11/2020	02/11/2020	40000	0	0	0	40000
3	FURNITURES	23/09/2020	23/09/2020	105000	0	0	0	105000
4	FURNITURES	31/08/2020	31/08/2020	40000	0	0	0	40000
5	FURNITURES	21/08/2020	21/08/2020	50000	0	0	0	50000
	Total (Furniture and fittings 10%)			301000	0	0	0	301000
1	CRUSAR CAR	20/02/2021	20/02/2021	1502000	0	0	0	1502000
2	FREEZ	25/03/2021	25/03/2021	44500	0	0	0	44500
3	TUBEWELL MOTOR	29/07/2020	29/07/2020	56731	0	0	0	56731
4	WATER COOLR	26/03/2021	26/03/2021	24790	0	0	0	24790
	Total (Machinery and plant 15%)			1628021	0	0	0	1628021
1	BUILDING CONSTRUCTION	30/09/2020	30/09/2020	2710055	0	0	0	2710055
2	BUILDING CONSTRUCTION	31/03/2021	31/03/2021	1431000	0	0	0	1431000
	Total (Buildings 10%)			4141055	0	0	0	4141055
	Total of Addition			6363584	0	0	0	6363584

Deduction Details (From Point No. 18)

S.No	Description of Block of Assets	Date of Sale	Amount



(57)

Jan Kalyan Avam Vikas Sansthan
(Bharat Law College)
44-45, L.S. Nagar, Naya Kheda, Jaipur
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021

- LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
CAPITAL FUND JAN KALYAN VIKAS SANSTHAN		9,659,893.00	FIXED ASSETS (AS PER ANNEXURE-C)	20908959.00
SURPLUS PROFIT AND LOSS ACCOUNT		63,094.00	INVESTMENT (AS PER ANNEXURE-D)	4,123,134.00
SECURED LOAN FROM HDFC FROM HDFC	518,419.00	1,718,419.00	CURRENT ASSETS CASH & BANK BALANCE (AS PER ANNEXURE-E)	356,763.00
FROM AU BANK	1,200,000.00		OTHER CURRENT ASSETS (AS PER ANNEXURE-F)	25,089.00
UNSECURED LOANS (AS PER ANNEXURE - A)		12,119,631.00	LOANS & ADVANCES (AS PER ANNEXURE-G)	200,000.00
CURRENT LIABILITIES (AS PER ANNEXURE - B)		2,052,908.00		
TOTAL		25,613,945.00		25,613,945.00

Audit report as on even date attached
For AMIT K. AGARWAL & CO.
Chartered accountants

For Jan Kalyan Avam Vikas Sansthan

AMIT KUMAR AGARWAL
Digitally signed by AMIT
KUMAR AGARWAL
Date: 2022.01.01
18:27:29 +05'00'

YASHPAL SINGH
Digitally signed by
YASHPAL SINGH
Date: 2022.01.01
18:27:47 +05'00'

(Secretary Treasurer)

AMIT KUMAR AGARWAL
Proprietor
Membership No.: 406836
Place: Jaipur
Date: 01/01/2022
UDIN: 22406836AAAAA2464

(60)

Jan Kalyan Avam Vikas Sansthan
 (Bharat Law College)
 44, 45, 1.S. Nagar, Naya Kheda, Jaipur
 Income & Expenditure A/c as on 31.03.2021

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To EXPENSES:		9,306,413.00	BY INCOME		9,369,507.00
SALARY	2,738,040.00		FEES RECEIVED	8,576,970.00	
AUDIT FEES	12,000.00		FORMS	11,787.00	
ADVERTISEMENT EXPENSES	167,000.00		FDR INTEREST RECEIVED	190,371.00	
BANK CHARGES	7,962.00		S.B A/C INTEREST RECEIVED	24,095.00	
BUILDING FIRE NOC	70,834.00		TCC FEES	55,430.00	
COMMISSION EXPENSES	109,400.00		AFFICATION RECEIPTS	530,854.00	
CONVEYANCE EXPENSES	141,674.00				
COLLEGE INSPECTION CHARGES	31,780.00				
DEPRECIATION EXPENSES	2,265,446.00				
ELECTRICITY EXPENSES	103,900.00				
EXAM FEES CHARGES	67,140.00				
EXTRA DUTY PAYMENT	366,000.00				
GIFT EXPENSES	182,820.00				
GUEST HOUSE EXPENSES	23,870.00				
INSURANCE OF CAR	59,835.00				
INTEREST ON CAR LOAN	63,943.00				
INTEREST PAID	1,402,288.00				
OFFICE EXPENSES	174,740.00				
PRINTING & STATIONERY	131,363.00				
REFRESHMENT EXPENSES	45,760.00				
REGISTRAR OF UNIVERSITY (NOC)	372,190.00				
RENT EXPENSES	368,000.00				
REPAIR & MAINTENANCE EXPENSES	48,946.00				
STAFF WELFARE EXP	156,396.00				
TELEPHONE EXPENSES	27,846.00				
TRAVELLING EXPENSES	107,811.00				
WATER EXPENSES	11,070.00				
VIVA EXPENSES	48,359.00				
NET PROFIT		63,094.00			
Total		9,369,507.00	Total		9,369,507.00

Audit report as on even date attached
 For AMIT K. AGARWAL & CO.

Chartered accountants

(FRN No.:013605C)

AMIT

Digitally signed by

KUMAR

AMIT KUMAR

AGARWAL

AGARWAL

Date: 2022.01.01

AMIT KUMAR AGARWAL

18:30:03 +05'00'

Proprietor

Membership No.: 406836

Place: Jaipur

Date: 01/01/2022

UDIN: 22406836AAAAAA2464

For Jan Kalyan Avam Vikas Sansthan

YASHPAL
SINGH

Digitally signed by
YASHPAL SINGH
Date: 2022.01.01
18:30:19 +05'00'

(Secretary Treasurer)

(6)

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified]
(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

Assessment Year
2020-21

PAN	AAAAJ4616J		
Name	JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN		
Address	B-18, PREM COLONY, , NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN, 302016		
Status	AOP/BOI	Form Number	ITR-5
Filed u/s	139(1)-On or before due date	e-Filing Acknowledgement Number	977619761311220


Taxable Income and Tax details			
	Current Year business loss, if any	1	0
	Total Income		244420
	Book Profit under MAT, where applicable	2	0
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	244420
	Net tax payable	4	0
	Interest and Fee Payable	5	0
	Total tax, interest and Fee payable	6	0
	Taxes Paid	7	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	21591
	Dividend Tax Payable	9	-21590
	Interest Payable	10	0
	Total Dividend tax and interest payable	11	0
	Taxes Paid	12	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (11-12)	13	0
	Accreted Income as per section 115TD	14	0
	Additional Tax payable u/s 115TD	15	0
	Interest payable u/s 115TE	16	0
	Additional Tax and interest payable	17	0
	Tax and interest paid	18	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (17-18)	19	0

Income Tax Return submitted electronically on 31-12-2020 16:23:18 from IP address 49.36.242.46 and verified by YASH PAL SINGH

having PAN BHCPS0862G on 31-12-2020 16:23:18 from IP address 49.36.242.46 using

Digital Signature Certificate (DSC).
7430387311054841298CN=PantaSign CA
DSC details: 2014.2.5.4.51-#132a4f6666696365204c6f2e203130372c2031737420666c6f6f722c2053617261737761746920506c617a61,STREET- FK Road,

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU


सचिव
जान कल्याण एवं विकास संस्थान

(62)

Name : M/s JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN
Address(U) : B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016
Address(R) : B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016

Code :- J

Permanent Account No : AAAAJ4616J Date of Incorporation : 08/04/2002
Status : Association Of Persons (AOP) Resident Status Resident
Previous year : 2019-2020 Assessment Year : 2020-2021
Ward/Circle : Return : ORIGINAL
Nature of Business or Profession : Other education services n.e.c. - 17007

Computation of Total Income

Income Heads	Income Before Set off	Income After Set off
Income From Business or Profession	244419	244419
Income from Other Sources	0	0
Gross Total Income		244419
Less : Deduction under Chapter VIA		0
Total Income		244419
Rounding off u/s 288A		244420
Income Taxable at Normal Rate		244420
Income Taxable at Special Rate		0

TAX CALCULATION

Tax Payable	0
Less : TDS/TCS	21591
Assessed Tax	-21591
Amount Refundable	21590
Amount Refundable Rounded Off u/s 288 B	21590

COMPREHENSIVE DETAIL

Income from Business & Profession Details

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN		244419
Net Profit As Per P&L A/c		244419
Add: Items Inadmissible/for Separate Consideration	1791241	
Depreciation Separately Considered	1791241	
Sub Total		2035660
Less: Items Admissible/for Separate Consideration	1791241	
Depreciation Allowed as Per IT Act	1791241	
Total of Business & Profession		244419

Tax Deducted/Collected at Source Details

Deductor/Employer's Name	TAN	Section	Head of Income	Amount Paid	TDS Amount
BANK OF MAHARASHTRA	JPRB03224E	194A	BP-Income: From Business: Profession	66067.86	6608
UCO BANK	JPRU00030C	194A	BP-Income: From Business	149824	14983

(63)


Total				215891.86	21591
-------	--	--	--	-----------	-------

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN

Client Code:J
Assessment Year:2020-2021

Return Filing Due Date : 31/10/2020
Due Date Extended upto : 31/01/2021
Interest Calculated Upto : 08/12/2020

Return Filing Section : 139(1)
Notification No : Press Release 24/10


सचिव
जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

(64)

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN
Depreciation Chart For Assessment Year '2020-2021'

Business Name : JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN

S.No	Description /Block of Assets	Rate	Opening WDV	Additions		Deductions		Normal Dep.	Additional Dep.	Total Dep.	Closing WDV
				180 days or more	Less than 180 days	180 days or more	Less than 180 days				
1	Ship 20% - Books	20.00 %	885632.00	0.00	218000.00	0.00	0.00	198926.00	0.00	198926.00	904706.00
2	Furniture and fittings 10% - Furniture and fittings	10.00 %	727470.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	73527.00	0.00	73527.00	661743.00
3	Machinery and plant 15% - Machinery and plant	15.00 %	1123504.00	60850.00	0.00	0.00	0.00	177653.00	0.00	177653.00	1006701.00
4	Machinery And plant 40% - Machinery and plant	40.00 %	84137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33655.00	0.00	33655.00	50482.00
5	Buildings 10% - Buildings	10.00 %	3019945.00	8734999.00	2639725.00	0.00	0.00	1307480.00	0.00	1307480.00	13087189.00
Total			5840688.00	8803649.00	2857725.00	0.00	0.00	1791241.00	0.00	1791241.00	15710821.00

Details of Bank Accounts :

No of Bank Account :- 1

Sr.No.	IFS Code	Name & Branch	Account No.	Type
1	UCBA0001385	UCO BANK-GANDHI CIRCLE (GDC) JAIPUR	13850100003704	Current

Verified By : YASHPAL SINGH

Yashpal Singh
सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

(65)

FORM ITR-V

INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically]

Assessment Year 2019-20

(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

PERSONAL INFORMATION AND THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

Name JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN		PAN AAAAJ4616J	
Flat/Door/Block No B-18	Name Of Premises/Building/Village PREM COLONY	Form Number ITR-5	Status: AOP/BOI
Road/Street/Post Office	Area/Locality NEHRU NAGAR		
Town/City/District JAIPUR	State RAJASTHAN	Pin/Zip Code 302016	Filed u/s 139(1)-On or before due date
Assessing Officer Details (Ward/Circle) ITO WD 2(3), JPR		e-Filing Acknowledgement Number 216735330241019	

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross Total Income	1	188701
2	Total Deductions under Chapter-VI-A	2	0
3	Total Income	3	188700
3a	Deemed Total Income under AME/MAT	3a	188700
3b	Current Year loss, if any	3b	0
4	Net Tax Payable	4	0
5	Interest and Fee Payable	5	0
6	Total Tax, Interest and Fee Payable	6	0
7	Taxes Paid		
a	Advance Tax	7a	0
b	TDS	7b	26980
c	TCS	7c	0
d	Self Assessment Tax	7d	0
e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c+7d)	7e	26980
8	Tax Payable (6-7e)	8	0
9	Refund (7e-6)	9	26980
10	Exempt Income	10	
	Agriculture		
	Others		

YASH PAL SINGH son/ daughter of **BANSHI SINGH**, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number **216735330241019** is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as **Authorised Signatory** and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number **BHCP50862G**

Sign here

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

For Office Use Only

Receipt No _____ Date of submission **24-10-2019 15:26:16**
Source IP address **182.64.75.41**



Seal and signature of receiving official

AAAAJ4616J052167353102410196DB82B99DF09949C5054E87C4D80F401A6052936

Please send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITR-V to "Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500", by **ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY**, so as to reach within 120 days from date of submission of ITR. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITC-CPC will be sent to the e-mail id **ca_anitj@gmail.com**

On successful verification, the acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of filing the return

THIS IS NOT A PROOF FOR HAVING FILED THE RETURN

(Signature)
सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान

66

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN

Client Code:J
Assessment Year:2019-2020

Return Filing Due Date : 30/09/2019
Due Date Extended upto : 31/10/2019
Interest Calculated Upto : 22/10/2019

Return Filing Section : 139(1)
Notification No : 225/157/2019/ITA.II


सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

(67) Code :

Name: M/s JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN
 Address(O): B-18, PRM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN 302016
 Address(R): B-18, PRM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016
 Permanent Account No.: AAAAJ4616J Date of Incorporation: 08/04/2002
 Status: Association Of Persons (AOP) Resident Status: Resident
 Previous year: 2018-2019 Assessment Year: 2019-2020
 Ward/Circle: Return: ORIGINAL
 Nature of Business or Profession: OTHERS - 1001

Computation of Total Income

Income Heads	Income Before Set off	Income After Set off
Income From Business or Profession	188701	188701
Income from Other Sources	0	0
Gross Total Income		188701
Less : Deduction under Chapter VIA		0
Total Income		188701
Rounding off u/s 288A		188700
Income Taxable at Normal Rate		188700
Income Taxable at Special Rate		0

TAX CALCULATION

Tax Payable	0
Less : TDS/TCS	26980
Assessed Tax	-26980
Amount Refundable	26980
Amount Refundable Rounded Off u/s 288 B	26980

COMPREHENSIVE DETAIL

Income from Business & Profession Details		188701
BUS-1		
Net Profit As Per P&L A/c	188701	
<u>Add: Items Inadmissible/for Separate Consideration</u>	634030	
Depreciation Separately Considered	634030	
Sub Total	822731	
<u>Less: Items Admissible/for Separate Consideration</u>	634030	
Depreciation Allowed as Per IT Act	634030	
Total of Business & Profession		188701

Tax Deducted/Collected at Source Details

Deductor/Employer's Name	TAN	Section	Head of Income	Amount Paid	TDS Amount
BANK OF MAHARASTRA	JPRB02818E	194A	BP-Income From Business Profession	127762	12778
UCO BANK	JPRU00102E	194A	BP-Income From Business Profession	142007	14202

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN
Depreciation Chart For Assessment Year '2019-2020'

Business Name :BUS-1

S No	Description /Block of Assets	Rate	Opening WDV	Additions		Deductions		Normal Dep.	Additional Dep.	Total Dep.	Closing WDV
				180 days or more	Less than 180 days	180 days or more	Less than 180 days				
1	Ship 20% - Books	20.00 %	1007040.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	221408.00	0.00	221408.00	885632.
2	Furniture and fittings 10% - Furniture and fittings	10.00 %	808300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80830.00	0.00	80830.00	727470.
3	Machinery and plant 15% - Machinery and plant	15.00 %	1321770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198266.00	0.00	198266.00	1123504
4	Machinery And plant 40% - Machinery and plant	40.00 %	140228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56091.00	0.00	56091.00	84137.0
5	Buildings 5% - Buildings	5.00%	0.00	0.00	3097380.00	0.00	0.00	77435.00	0.00	77435.00	3019945.
Total			3277338.00	100000.00	3097380.00	0.00	0.00	634030.00	0.00	634030.00	5840688.

Details of Bank Accounts :

No of Bank Account :- 1

Sr.No.	IFS Code	Name & Branch	Account No.	Type
1	UCBA0001385	UCO BANK-GANDHI CIRCLE (GDC) JAIPUR	13850100003704	Current

Verified By : YASH PAL SINGH



सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

PERSONAL INFORMATION AND THE DATE OF ELECTRONIC TRANSMISSION

Name JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN			PAN AAAAJ4616J	
Flat/Door/Block No B-18	Name Of Premises/Building/Village PREM COLONY		Form No. which has been electronically transmitted ITR-5	Status AOP/BOI
Road/Street/Post Office	Area/Locality NEHRU NAGAR			
Town/City/District JAIPUR	State RAJASTHAN	Pin/Zip Code 302016	Aadhaar Number/ Enrollment ID	
Designation of AO (Ward / Circle) ITO WD 2(3), JPR			Original or Revised ORIGINAL	
E-filing Acknowledgement Number 338004710171018		Date(DD-MM-YYYY) 17-10-2018		

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross Total Income	1	257044
2	Deductions under Chapter-VI-A	2	0
3	Total Income	3	257040
a	Current Year loss, if any	3a	0
4	Net Tax Payable	4	363
5	Interest and Fee Payable	5	1000
6	Total Tax, Interest and Fee Payable	6	1363
7	Taxes Paid		
a	Advance Tax	7a	0
b	TDS	7b	22219
c	TCS	7c	12326
d	Self Assessment Tax	7d	0
e	Total Taxes Paid (7a+7b+7c+7d)	7e	34545
8	Tax Payable (6-7e)	8	0
9	Refund (7e-6)	9	33180
10	Exempt Income	10	
	Agriculture		
	Others		

VERIFICATION

I, YASH PAL SINGH son/ daughter of BANSHI SINGH holding Permanent Account Number BHCPS0862G solemnly declare to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto which have been transmitted electronically by me vide acknowledgement number mentioned above is correct and complete and that the amount of total income and other particulars shown therein are truly stated and are in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961, in respect of income chargeable to income-tax for the previous year relevant to the assessment year 2018-19. I further declare that I am making this return in my capacity as SECRETARY and I am also competent to make this return and verify it.

Sign here  Date 17-10-2018 Place JAIPUR

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

For Office Use Only
Receipt No Filed from IP address 182.68.106.234

Date
Seal and signature of receiving official



AAAAJ4616J05338004710171018DF73585D0BE7F795AC93A97273506DE692E09591

Please send the duly signed Form ITR-V to "Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500", by **ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY, within 120 days** from date of transmitting the data electronically. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail address ca.amitj@gmail.com



सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जायपुर (राज.)

70

Name : M/s JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN
 Address(O) : B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016
 Address(R) : B-18, PREM COLONY, NEHRU NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302016

Permanent Account No : AAAAJ4616J Date of Incorporation : 08/04/2002
 Status : Association Of Persons (AOP) Resident Status : Resident
 Previous year : 2017-2018 Assessment Year : 2018-2019
 Ward/Circle : Return : ORIGINAL
 Nature of Business or Profession : Other services n.e.c. - 21008

Computation of Total Income

Income Heads	Income Before Set off	Income After Set off
Income From Business or Profession	257044	257044
Income from Other Sources	0	0
Gross Total Income		257044
Less : Deduction under Chapter VIA		0
Total Income		257044
Rounding off u/s 288A		257040
Income Taxable at Normal Rate		257040
Income Taxable at Special Rate		0


TAX CALCULATION

Basic Exemption Limit Rs.	250000	
Tax at Normal Rates	352	352
Total Tax		7
Add : Education Cess		359
Total		4
Add : Secondary & Higher Education Cess		363
Total		34545
Less : TDS/TCS		-34182
Assessed Tax		1000
Add : Interest u/s 234F	1000	33180
Amount Refundable		33180
Amount Refundable Rounded Off u/s 288 B		33180

COMPREHENSIVE DETAIL

Income from Business & Profession Details		257044
BUS-1		
Net Profit As Per P&L A/c	257043	
Add: Items Inadmissible/for Separate Consideration	465819	
Depreciation Separately Considered	465819	
Sub Total	722862	
Less: Items Admissible/for Separate Consideration	465818	
Depreciation Allowed as Per IT Act	465818	
Income From BUS-1	257044	
Total of Business & Profession		257044

Tax Deducted/Collected at Source Details


 सचिव
 जन कल्याण एवं विकास संस्थान
 जायपुर (राज.)

Deductor/Employer's Name	TAN	Section	Amount Paid	TDS Amount	Allow. Amt.
BANK OF MAHARASHTRA	JPRB02W18E	194A	80573	8059	8059
UCO BANK	JPRU00102E	194A	141592	14160	14160
Total			222165	22219	22219
AUTOPLEX AV	JPRA08913C	206C	1232595	12326	12326
Total			1232595	12326	12326

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN

Client Code: J
Assessment Year: 2018-2019

Return Filing Due Date : 31/07/2018
Due Date Extended upto : 31/08/2018
Interest Calculated Upto : 18/10/2018

Return Filing Section : 139(4)
Notification No : 225/242/2018/ITA.II


 सचिव
 जन कल्याण एवं विकास संस्थान
 जयपुर (राज.)

(7/21)

JAN KALYAN AVAM VIKAS SANSTHAN
Depreciation Chart For Assessment Year '2018-2019'

Business Name :BUS-1

S.No	Description /Block of Assets	Rate	Opening WDV	Additions		Deductions		Normal Dep.	Additional Dep.	Total Dep.	Closing WDV
				180 days or more	Less than 180 days	180 days or more	Less than 180 days				
1	Ship 20% - Books	20.00 %	1014379.00	0.00	217263.00	0.00	0.00	224602.00	0.00	224602.00	1007040.00
2	Furniture and fittings 10% - Furniture and fittings	10.00 %	863811.00	0.00	32500.00	0.00	0.00	88006.00	0.00	88006.00	808305.00
3	Machinery and plant 15% - Machinery and plant	15.00 %	31494.00	0.00	1400000.00	0.00	0.00	109724.00	0.00	109724.00	1321770.00
4	Machinery And plant 40% - Machinery and plant	40.00 %	33714.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	43486.00	0.00	43486.00	140228.00
Total			1943398.00	0.00	1799763.00	0.00	0.00	465818.00	0.00	465818.00	3277343.00

Details of Bank Accounts :

No of Bank Account :- 1

Sr.No.	IFS Code	Name & Branch	Account No.	Type
1	UCBA0001385	UCO BANK-GANDHI CIRCLE (GDC) JAIPUR	13850100003704	Current

Verified By : YASH PAL SINGH



सचिव

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

(73)

JAN KALYAN AVM VIKAS SANSTHAN

Jaipur (Raj.)

B-18, Prem Colony, Nehru Nagar, Jaipur-302016

Ref. JKVS/2022/1144

Date 03.02.2022

जन कल्याण एवं विकास संस्थान की दिनांक 10.01.21 को वार्षिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किया गया :-

प्रस्ताव संख्या: 109

जन कल्याण एवं विकास संस्थान की वार्षिक बैठक में प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि संस्थान द्वारा विगत 16 वर्ष से किराये के भवन में उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन किया जा रहा है संस्थान स्कूल शिक्षा-उच्च शिक्षा व विधि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज हित व युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना चाहता है। अतः संस्थान द्वारा विद्याधर नगर क्षेत्र में 5 से 10 हजार मीटर भूमि आवंटन के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में आवेदन कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। प्रक्रिया की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिये प्रबन्ध मण्डल के सचिव को अधिकृत किया जाता है।


(डॉ. यशपाल सिंह चिराना)

सचिव

Jan Kalyan Avm Vikas Sansthan Jaipur (Raj.)

B-18, Prem Colony, Nehru Nagar, Jaipur-302016

Ref. JKVS/2022/145

Date: 03.02.22

घोषणा पत्र

जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के प्रबन्ध मण्डल पदाधिकारियों द्वारा शपथपूर्वक यह उल्लेखित किया जाता है कि:-

1. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के सदस्यों एवं पदाधिकारियों पर किसी प्रकार की विभागीय जाँच व अपराधिक कोर्ट केस नहीं है।
2. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के सदस्यों एवं पदाधिकारियों पर जेडीए का कोई शुल्क बकाया नहीं है।
3. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के पदाधिकारियों को किसी भी सरकारी संस्थान व जयपुर विकास प्राधिकरण से पूर्व में कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है।
4. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर आवंटित भूखण्ड पर किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जायेगा।



(डॉ. यशपाल सिंह चिराना)

सचिव

NOTARY PUBLIC, JAIPUR
INDIA

ALISTED
03 FEB 2022

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

(जयश्यामल सिंह तिराना)

4.10.21

जन कल्याण एवं विकास संस्थान
जयपुर (राज.)

(विदेकानन्द शर्मा)

1.10.21

1. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के सदस्यों एवं पदाधिकारियों पर किसी प्रकार की विभ्रमणीय जांच व अपराधिक कोर्ट केस नहीं है।
2. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के सदस्यों एवं पदाधिकारियों पर जेडीए का कोई शक्य बकाया नहीं है।
3. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के पदाधिकारियों को किसी भी सरकारी संस्थान व जयपुर विकास प्राधिकरण से पूर्व से कोई भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है।
4. जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर आवंटित भूखण्ड पर किसी भी प्रकार की वणिज्यिक उपयोग नहीं किया जायागा।

जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर के प्रबंध मण्डल पदाधिकारियों द्वारा संप्रत्यक्ष यह उल्लिखित किया जाता है कि:





78

क्रमांक - 33311/अ3311(एलपीसी)/2022/डी-295-96

दिनांक: 25/02/2022

डॉ. यशपाल सिंह विरना,

सचिव,

जन कल्याण एवं विकास संस्थान,

बी-18, ग्राम कॉलोनी, नेहरू नगर,

पानीपत, जयपुर।

विषय:- जन कल्याण एवं विकास संस्थान को शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्य हेतु

10,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन कराने बाबत।

संदर्भ:- नागरिक सेवा केन्द्र का पंजीयन क्रमांक: 385633 दिनांक 03.02.2022 के

क्रम में।

उपरोक्त विषयान्वित एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि आप द्वारा जन

कल्याण एवं विकास संस्थान को शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्य हेतु 10,000 वर्गमीटर

भूमि आवंटन बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में लेख है कि परियोजना के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था का

स्पष्ट उल्लेख, निर्माण कार्य करने का समय व पूर्ण करने की अवधि एवं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व किस प्रकार प्राप्त होगा का विवरण

सम्बन्धित दरखावाजमात शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करावे, ताकि प्रकल्प में

नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(आनंदी लाल शेरवा)
अतिरिक्त अधिकारी (एलपीसी)

अतिरिक्त अधिकारी (एलपीसी)

प्रतिक्रिया:- नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन क्रमांक: 385633 दिनांक 03.02.2022 के क्रम में संचालित प्रेषित है।

अतिरिक्त अधिकारी (एलपीसी)

ICICI BANK LTD.
J.D.A. CAMPUS, JAIPUR.
15 FEB 2022
SUBJECT TO REALISATION
CLEARING

ICICI BANK LTD.
J.D.A. CAMPUS, JAIPUR.
15 FEB 2022
SUBJECT TO REALISATION
CLEARING

राज्य बैंकर्स एसोसिएशन, रायपुर (प्रकार में जमा कराते वाली प्रती)

प्रकार : Additional Commissioner (LPC)

बालन संख्या 760290

खाता/शीटनम्बर ICICI-675401700500

दिनांक 08/02/2022 Valid upto 10/03/2022

जमाकर्ता/आवेदककर्ता SH. JAN KALYAN AVAM VIKS SANSTHAN का नाम

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Amount (Rs.)
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंको में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

Name of Bank BANK OF MAHARASHTRA

Payment Mode-DD No. 227330 Date 22/12/2021

बालन पर अंकेत मान अवधि का समाप्त जमा कराती जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पंनली से नहीं है।

उपरोक्त जमा कराते गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जमा के लिए किसी प्रकार कोई वित्तिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि में परमिशन के अन्तर्गत है, जिसके अतिरिक्त एवं परमिशन होने के लिए

बालन संख्या 760290

Contact No. 9413966308

हस्ताक्षर जमाकर्ता

राज्य बैंकर्स एसोसिएशन, रायपुर (प्रकार में जमा कराते वाली प्रती)

प्रकार : Additional Commissioner (LPC)

बालन संख्या 760290

खाता/शीटनम्बर ICICI-675401700500

दिनांक 08/02/2022 Valid upto 10/03/2022

जमाकर्ता/आवेदककर्ता SH. JAN KALYAN AVAM VIKS SANSTHAN का नाम

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Amount (Rs.)
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंको में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

Name of Bank BANK OF MAHARASHTRA

Payment Mode-DD No. 227330 Date 22/12/2021

बालन पर अंकेत मान अवधि का समाप्त जमा कराती जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पंनली से नहीं है।

उपरोक्त जमा कराते गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जमा के लिए किसी प्रकार कोई वित्तिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि में परमिशन के अन्तर्गत है, जिसके अतिरिक्त एवं परमिशन होने के लिए

बालन संख्या 760290

Contact No. 9413966308

हस्ताक्षर जमाकर्ता

77

JAN KALYAN AVM VIKAS SANSTHAN**Jaipur (Raj.)****B-18, Prem Colony, Nehru Nagar, Jaipur-302016**

DA/S2

16/3/22

Ref. JKVS/2022/46

माननीय श्री आनन्दी लाल जी

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Date 15.03.22

TDR LPC
16/3/2022

संदर्भ :- आपके पत्र क्रमांक जविप्रा/अआ(एलपीसी)/2022/डी-295, दिनांक 25.02.22 के प्रत्युत्तर के संदर्भ में।

मान्यवर,

आपसे निवेदन है कि जनकल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर ने आपके कार्यालय में भूमि आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें आपने उपरोक्त पत्र क्रमांक जविप्रा/अआ (एलपीसी)/2022 / डी-295, दिनांक 25.02.22 के माध्यम से कुछ सूचनाएँ मांगी हैं, जिनका जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

1. संस्था के आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था-

"मान्यवर से निवेदन है कि जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर जयपुर में ही 2004 से ही भारत लॉ कालेज, (विधि संकाय), विद्याधर नगर व भारत कालेज (आर्ट्स, कॉमर्स व साइन्स संकाय) सीकर रोड पर संचालित कर रही है, जिसकी फीस व अन्य प्राप्तियाँ वार्षिक 1.3 करोड़ रुपये से अधिक की है। इसके अतिरिक्त संस्था भूमि आवंटन होने पर डोनेशन की व्यवस्था भी करेगी, अपनी स्थाई निधियाँ भी उपयोग में लेगी, और जरूरत पड़ेगी तो और बैंक ऋण भी लेगी। संस्था की विगत 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है"।

2. निर्माण कार्य शुरू करने का समय व पूर्ण करने की अवधि-

"मान्यवर से लेख है कि संस्थान को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से ज्यों ही भूमि का आवंटन होगा, उसके 6 माह में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा, और निर्माण प्रारम्भ होने के 2 वर्ष की अवधि में निर्माण पूर्ण कर लिया जायेगा"।

3. परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व किस प्रकार से प्राप्त होगा-

"मान्यवर परियोजना का लाभ समाज के सभी वर्गों को होगा, तथा विधि शिक्षा व उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के व करवाने के लिये समाज को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समाज को लाभान्वित किया जायेगा, विधि शिक्षा के माध्यम से समाज को सेमिनार व कैंप लगा कर जागरूक किया जायेगा"।

मान्यवर से निवेदन है कि संस्था ने 10000 हजार वर्गमीटर के लिये आवेदन जरूर किया है, लेकिन आपके पास जितनी भूमि उपलब्ध है, जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर भूमि आवंटन कर अनुग्रहित करें।

धन्यवाद।


(डॉ यशपाल सिंह चिराना)

मानद सचिव (अवैतनिक)

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

79

क्रमांक: एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./2004-05/47

दिनांक 2 जुलाई, 2004

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय- रात्र 2004-05 में नवीन विधि महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं संस्था के द्वारा प्रस्तुत नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर निर्देशानुसार नवीन विधि महाविद्यालयों के लिए सत्र 2004-05 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर 2004-05 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क्र.सं.	स्पोन्सरिंग ट्रस्ट/ संस्था का नाम	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	संकाय/विषय	विशेष विवरण
1	श्री महाराणा प्रताप शिक्षा समिति, डीग,भरतपुर-41	महाराणा प्रताप विधि महाविद्यालय, धीलपुर	स्नातक स्तर- विधि संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	
2	राजस्थान पब्लिक स्कूल समिति, चिडावा, झुंझुनु- 94	राजस्थान लॉ कालेज चिडावा, झुंझुनु	स्नातक स्तर- विधि संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	
3	जन कल्याण एवं विकास संस्थान, जयपुर- 131	भारत लॉ कालेज, जयपुर	स्नातक स्तर- विधि संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	
4	मानव संसाधन एवं प्राणीय विकास संस्थान, जयपुर-124	माधव विधि महाविद्यालय, जयपुर	स्नातक स्तर- विधि संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	

- राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप महाविद्यालय संचालन हेतु निर्माण करवा लेंगे / व्यवस्था करवा लेंगे एवं तदनुसार कालेज शिक्षा विभाग को सूचित कर इसका निरीक्षण करवा लेंगे ।
- यदि संस्था निर्धारित समयावधि में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भवन का निर्माण / व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं संस्था को इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी रूप में न्यायालय में चुनौती देने का अधिकारी नहीं होगा ।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
- अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्ध की कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
- संस्था, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर छात्रों को प्रवेश देगी तथा संस्था द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करनी होगी ।
- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
- ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा ।
- संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संगुत खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (48/141) आकाशि/अनु/2004/9530 दि० 22 सितम्बर, 2008

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2008-09 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	141	भारत लॉ कॉलेज	44-46, एल एस नगर, नया खेड़ा, विद्याधर नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	विधि (त्री वर्षिय)

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से सूच्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

(धवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रसिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राज एवेन्यू इन्सटीट्यूशनल ऐरिया, नई दिल्ली - 110002 ।
9. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
10. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
12. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान), (L.O.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।



DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY, JAIPUR

(A State Funded University of Rajasthan)

"RUSA Bhawan", Shiksha Sankul, JLN Marg, Jaipur-302015

www.alujaipur.ac.in

E-mail: registrar@alujaipur.ac.in

F6 II (35) Acad.-II/ALU//2021-22/ 4141

Date: 09.09.2021

The Principal
Bharat Law College,
Vidhyadhar Nagar, Jaipur

Revised letter in supersession of earlier letter no. F6 II (35) Acad.-II/ALU//2021-22/3916 dated 06.09.2021

Sub :- Permanent Affiliation from the Academic Session 2021-22.

Dear Sir/ Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above, I am directed to inform you that on the basis of the inspection Committee report and as per recommendations of the Board of Inspection, constituted for this purpose, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant **Permanent affiliation** to your college in the course(s) mentioned below from the academic session 2021-22, for the seats mentioned against the said course(s).

S.No.	Course(s)	Seats	Remarks of Inspection Committee
1.	LL.B. (3yrs)	300 (Five Section)	<ul style="list-style-type: none">The college has obtained permanent affiliation for LL.B. three years (Five Section) from the University of Rajasthan, Jaipur for which Status Quo is maintained by this University.The physical, financial and academic infrastructure in place with sufficient classrooms, moot court and all other facilities.

Note:-

- The college should strictly follow the admission guidelines and syllabus prescribed by the University for all Law Courses, available on the university website.
- The medium of instruction shall be English for Five Years Integrated Law Programme.
- The provision of 10% (Ten Percent) seats for EWS category for BA LL.B and LL.B. courses will be in accordance to the policy of Bar Council India (BCI).

Accordingly the college is required to adhere to the following :

- If the college already has a valid approval of BCI for the session 2021-22, it can start the process of admissions against the approved seats immediately after issuance of this letter.
- If the college does not have the valid approval of BCI for the session 2021-22, it is mandatorily required to obtain the BCI approval, or to deposit the requisite fee to BCI, within one month of issuance of this letter, for its inspection/approval for the session 2021-22 and proof of the same should be submitted to the University. The admission process can be started on compliance of the same.
- The college may complete the admission process for the session 2021-22 strictly by 30th October, 2021 and no admission should be granted after this date. The classes for the session 2021-22 will commence from the 1st November, 2021. The details of the students admitted in various course(s) may be provided to the university for their enrolment and examination forms latest by 20th November, 2021.
- The necessary compliance with regard to remarks/recommendations made by the Inspection Committee must be ensured within the prescribed time limit, failing which, the proposal of the college for affiliation for the session 2022-23 will not be considered.
- The university by virtue of its authority may exercise the powers to inspect the college anytime and if found violating the above mentioned norms, the college will be liable to face the consequences
- The proposals for Affiliation for the Academic Session 2022-23 will be invited in December, 2021.

(Ayub Khan R.A.S.)
Registrar



क्रमांक: एफ4 (102)अकाशि/नि.स./2020/

1081

दिनांक:- 20/8/2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 से 2022-2023 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
जन कल्याण एवं विकास संस्थान, प्रेम कॉलोनी, जयपुर।	भारत कॉलेज, हनुमान नगर द्वितीय, आनन्द लोक रोड, टाटियावास सीकर रोड, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, लोच पासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवविज्ञान, विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, धनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र। वाणिज्य संकाय- एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएफएम।

- संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2020-21 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा जाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आर्बटिड विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आर्बटिड विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार को महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishen.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में निदेशालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रायली।



Office Order

No. Acad. II/2021/ 5133

Dated: 23/12/21

On the basis of the Inspection report submitted by the Inspection team and the recommendations made by Board of Inspection held in dated 20.12.2021 duly approved by the Hon'ble Vice-Chancellor and the NOC has been granted by the State Government Increase Intake has been granted to the following Colleges in the course(s) mentioned against their name (s) for the session 2020-21 & 2021-22, subject to adherence of the conditions laid down by the inspection team(s)/BOI if any:-

S. No	Name of College	Course/Subject	Conditions laid down by the inspection team(s)	Increased intake of seats recommended by the Inspection Team(s)	Decision of the BOI Granted /Granted with fulfillment of condition(S)
1	Seth Ram Villas Joshi College, Toonga Teh-Bassi, Jaipur. Email: sethramvillascollege@gmail.com	(Increase Intake) B.A-History, Economics, English Lit., Hindi Lit., Geography, Urdu, Political Sc., Public Admn., Sanskrit Lit., Sociology	पुस्तको की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। (समय 02 महिने में)	120 Seats (Increase Intake) recommended by the Inspectors. Old- 240 Seats New-120 Seats 360 Seats	Increase Intake has been granted from the academic session 2020-21 with the conditions to fulfil the conditions laid down by the Inspection team within two months.
2.	Kanoria P.G. Mahila Mahavidhyalaya, Jawahar Lal Neharu Marg, Bapu Nagar, Jaipur Mobile No.- 9828338689 E mail- admin@kanoriacollege.in Dr. Varsha Sharma 7073467013	(Increase Intake) BBA	---	60 Seats (Increase Intake) recommended by the Inspectors. Old- 120 Seats New- 60 Seats 180 Seats	Increase Intake has been granted from the academic session 2021-22.
3.	Vidyasthali Institute of Techno. Science & Management, Prihtviraj Nagar, Maharani Farm, Durgapura, Jaipur-18 Mobile No.-9414076058, 01412763165 E mail- vidyasthali@yahoo.co.in Dr Mithilesh Jaimini 9829055824	M.Sc-Botany M.Sc-Zoology	--	40 Seats 40 Seats (Increase Intake) recommended by the Inspectors. M.Sc Botany Old- 20 Seats New-40 Seats 60 Seats M.Sc Zoology Old- 20 Seats New-40 Seats 60 Seats	Increase Intake has been granted from the academic session 2021-22 .
4.	Bharat College, Hanuman Nagar II Ananad Lok Road Tatiyawas Sikar Road, Jaipur. Email- bharatcollege28@gmail.com	B.A.-All Subjects B.Sc-All Subjects	--	120 Seats 120 Seats (Increase Intake) recommended by the Inspectors. B.A-Old- 120 Seats New-120 Seats 240 Seats B.Sc-Old- 120 Seats New- 120 Seats 240 Seats	Increase Intake has been granted from the academic session 2021-22 .
5.	Maharishi Parshuram College, Opp. Nagar Palike Kishangarh Renwal, , Jaipur Mobile No.- 9928928042, 9782696430 E mail - mpmkrenwal@gmail.com	B.A. – Geography, Hindi, Political Sc., English, History, Pub. Admn.	--	60 Seats (Increase Intake) recommended by the Inspectors. B.A-Old- 300 Seats New- 60 Seats 360 Seats	Increase Intake has been granted from the academic session 2021-22 .

18/12/21



UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR

Academic II Section

Office Order

No. Acad.II/2021/5757

dated: 24/12/21

As per order of the Vice-Chancellor dated 23.12.2021, following affiliated Colleges of the University of Rajasthan are granted extension of affiliation provisionally on the basis of NOC issued by the State Govt. and recommendations made by the BOI dated 23.12.2021 for the academic session 2021-22.

S.No	College Code	Name of College Address, E-Mail & Tel. No./Contact Number Name of Principal	Course/Subject	No. of Seats	Type of affiliation
1.	697	A.N. College, N.H.-11 Udaipuria Moad, Lcharvado Road, Chenu, Jaipur Mobile No., 9929555048 ancollegechenu@yahoo.com Principal-Dr. Ram Singh 9414079177	B.A.-Hindi, Eng., Geog., Hist., Sans., Pub. Adm., Socio., Pol.Sc., Econ., H.Cem. ABST, EAFM, Bus.Admn.	70 Seats 60 Seats	Extension Extension
2.	347	Aanararam College, Near Bus Stand, Bansi, Jaipur-323301 Mobile No. 9414230000 Email-ar/hsst@gmail.com Dr. Rajeev Kumar 9414237124	B.A.-Sans., Geog., Hist., Pol.Sc., Econ., Pub.Admn. Socio., Eng., Hindi.Psychology, H.Cem. ABST, EAFM, Bus.Admn.	300 Seats 120 Seats	Extension Extension
3.		Adarsh Mahavidyalaya, Dausa By Pass, Vill-Anchi, Teh.- Jamawarangarh, Jaipur Mobile No. 9983077891, 9460517971 adarshcollege07@yahoo.in Principal- Dr. Ruby Seth 9414695917	B.A.-Eng., Hindi, Hist., Econ., Pol.Sc. Geog., Socio, Pub.Admn.Home Sc.	180 Seats	Extension
4.	1134	Adarsh Sanskar Kanya Mahavidyalaya, Shivpuri, Dausa Road, Manoharpur, Shehpura, Jaipur. adrasnskskrgii@college@gmail.com 9330181600, 9352033711 Dr. Sawa Lal Sharma-9352033711	B.A.-Hindi, Eng, Geog, Pol Sc, Hist, Sans, Pub Admn, Econ, Socio, Philos, Home Sc.	120Seats	Extension
5.	1177	Agrasen College, S.P-41 RUCo, Industrial Area, KVKas, Jaipur Agrasencollegckukas@gmail.com	B.Sc -Phys, Chem, Maths, Zoology, Botany B.A.-History, Pol.Sc. Hindi Lit., Pub. Admn., English Lit., Sociology, Economics	120 seats 60 Seats	Extension Extension
6.	452	Agrawal Evening College, Agrasen Katia, Maharaj Agrasen Marg, Agra Road, Near Sanganeri Gate, Jaipur Mobile No. 0141-2614541 9413969933 Email- principal.agrawalcollege@gmail.com Principal- Prof. R.S. Khangarot 9413969933	B.A.-Geog B.Sc.-Bio. Grp. B.Sc.-Math Grp. M.A./M.Sc.-Geog M.A -Pub. Admn.	180 Seats 180 Seats 40 Seats 40 Seats	Extension Extension Extension Extension

120/12/21

170	1211	Dr. Radha Krishnan Deprer College, Near Mahadar World City, Sumapur Road, Kalvra, Jaipur. Email: drdcjaipur@gmail.com	B.Sc - Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology, Geology.	100 Seats	Extension
171	1208	Government College, Chaksu, Jaipur	B.A.- English, Geography, Economics, Philosophy, Hindi, Political Science, History	400 Seats	Extension
172		Government College, Bassi, Jaipur	B.A.- Hindi Litt., English Litt., Geography, Psychology, Economics, History, Public Administration	400 Seats	Extension
173	1267	Government College, Jawa rangarh, Jaipur. Email- gcjanwarangarh2019@gmail.com	B.Com.- ABST, EAFM, Pub. Adm.	100 Seats	Extension
			B.A.- Hindi, English, Hist. Geog. Pol. Sc. Eco. Pub. Ad. Philosophy, Psychology Sanskrit, Sociology,	500 Seats	Extension
			B.Sc - Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology, Psychology	88 Seats	Extension
174	35691	Government College Phagi, Jaipur Email govtcollegephagi@gmail.com	B.A - D & F, Economics, History, Geograpy, English Litt., Hindi Litt., Political Science	400 Seats	Extension
175		Government College, Bagru Jaipur Email- principalgcbagr@gmail.com	B.A- Hist. Geog. Pol. Sc. . Pub. Admn, Eco	300 Seats	Extension
176	-	Govt. College Jaundoli Jaipur Email- govtcollegejaundoli@gmail.com	B.A- Geog, Hist, Pol. Sc, Sans., Home Sc.	200 Seats	Extens
177	-	Govt. College, Radawas, Jaipur Email- cradawascollege@gmail.com	B.A- Geog., Pol. Sc., Sans, Socio	200 seats	Extension
178	1218	Bharat College Jaipur, Hariuman Nagar Area d Lok Sika Road, Jaipur. Email- bharat college 28@gmail.com	B.A- Eng., Geog, Hindi, Hist, Eco, Pub. Ad, Pol. Sc, Soci, Eco.	120 Seats	Extension
			B.Sc- Botany, Chemistry, Mathematics, Physics, Zoology, Eco, Psychology,	120 Seats	Extension
179		Government College, KanwarNagar, Brahmpuri, jaipur Email- govtcollegebhrampuri@gmail.com	B.A- Pol. Sci., Hist., Geog., Eco., Pub. Adm.,	200 Seats	Extension
180		Baba Ganga Das vidhyapeeth Mahavidhyalaya, Chinapura, Sba hpura, Jaipur,	B.A- Pol.Sc., Geog., Hist, Eng., Hindi B.Sc. Pass- Chemi., Bot., Zool., Phy.	60 Seats 60 Seats	Extensin Extension
181		U.M.D Maharani College, Choru, Jaipur UMDmaharanicollege2@gmail.c om	B.A- Geog. Pol.Sc., Eco Hindi, Hist	120 Seats	Extension
			B.Sc- Phy., Chemi., Zoa, Bot, Math	120 Seats	Extension
182	1221	Maharana Pratap College, Chaksu, Bus stand k pass NFi 52 Chaku Distt. Jaipur Email- Mpoollegechaksu@gmail.com	B.A Pass Course- Geog., Hindi., Hist., Home Sc., Math, Econ., Urdu	120 Seats	Extension
			B.Sc- Phy., Chemi., Math, Zool., Bot.	120 Seats	Extension
183		Kautilya College of Exilence, Keshyawaia opposite Muhana Mandi Mansaaroover Extension Sanganer Jaipur KECJP15@gmail.com	B.A- Eco. Hist, Pol. Sc, Geog, Home Sc, Hindi, Eng, Pub, Sociol.	120 Seats	Extension
184		P D College of Higher Education, Bhankrota. 133 Keshopura Bhanrota Ajmer road Jaipur- piyushincollege@gmail.com	B.A- D&P, Eco, Hindi, Eng, Pub. Ad., Geog., Hist., Pol. Sc , Psy., Socio	120 seat	Extension
			B.Sc- Bot., Chemi., Eco, Geog., Math, Zool, Stat.	120 Seats	Extension
			B.Com- ABST, EAFM, BADM	120 Seats	Extension

[Handwritten signature]

241	Govt. College of Arts & Commerce, Dist. Jaipur. M.N.-9432761999 01427-230515	B.A. Honors, Geography, Soc. Sci., Pub. Adm., Sociology	200 Seats	Interim
-----	---	---	-----------	---------

(K.M. Duriya)

Registrar

dated: 24/12/21

No. Acad.II/2021/ 5158 - 5806

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal of the concerned College.
2. The Controller of Examinations UOR, Jaipur with the request to open the portal of examination.
3. The Director, In-charge of Centres, UOR, Jaipur with the request to upload the above Office Order on the University website.
4. PS to HVC, UOR, Jaipur
5. PA to Registrar, UOR Jaipur

(Dr. M.C. Gupta)

Deputy Registrar

(Acad. II)